3 i i The Delhi

[Shri V. Rajan Chellapa]

programmes and for channelising the funds to the local bodies would only lead to indifference at the grants root level and encourage a tendency to disregard the State Governments, which negates the very basis of decentralising democracy in a federal setup.

The Government of Tamil Nadu under, the dynamic leadership of our revered leader, Dr. Puratchi Thalaivi, hag launched and implemented several poverty alleviation and welfare programmes successfully. Employment to one lakh women, female children protection scheme, social protection scheme for the poor, pension for the aged and destitute widows and free housing for SCs and STs are some of such schemes which are implemented by the Tamil Nadu Government. But one fails to understand as to why the Centre wants to poke its nose in the affairs of a State.

The intention is clear. Since most of the States are being ruled by non-Congress parties, the Congress Government at the Centre is trying to woo people through this undemocratic method not sanctioned by the Constitution. But, I warn the Centre that this will only prove counter-productive. So, I call upon the Centre to desist from usurping the powers of the State. If this Government goes ahead arrogating more and more powers to it, it will fall under its own weight. Thank you.

THE DELHI RENT BILL. 1994

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to Provide or the regulation of rents, repairs and maintenance and evictions relating

to premises and of rates of hotels and lodging houses in the National Capital Territory of Delhi, be taken into consideration."

Mr. Vice-Chairman and distinguished Members.

The Delhi Rent Bill 1994 was introduced in this august House on the 26th August, 1994. The Standing Committee on Urban and Rural Development to whom the Bill was referred, submitted its Report to the Parliament on the 15th March, 1995. I am sure the hon. Members have taken note of the Report.

There have been numerous representations from groups of tenants and landlords and others for further amendments to the Delhi Rent Control Act, 1958 which was extensively revised in 1988. This demand received fresh impetus with the tabling of the National Housing Policy in both the Houses of Parliament in July, 1992. The policy has since been adopted by Parliament. One of its major concerns is to remove legal impediments to the growth of housing in general, and rental housing in particular.

The Supreme Court of India has also suggested changes in rent control laws by making its rational, humane, certain and capable of being quickly implemented. In this context. a Model Rent Control Legislation was formulated by the Central Government and sent to the States to enable them to carry out necessary amendmens to the prevailing rent control laws. The Model Rent Control Legislation has taken too consideration the recommendations of the Economic Administration Reforms Commission and the National Commission on Urbanisation.

The present bill seeks to provide mainly for the following:

 exemption of certain categories of premises and tenancies froia *the* purview of the proposed legislation;

- creation of tenancy by agreement and its compulsory registration;
- limit inheritability of residential tenancy by the successors in the event of the death of a tenant;
- rent to be increased in a specified manner;
- where there is no agreed rent, standard rent to be fixed based on the cost of construction and market price of land;
- tenant to pay proportionate amount as maintenance charges or property tax, in addition to the standard rent;
- revision of standard rent for improvements carried out on the premises;
- landlord to serve notice for in creasing rent;

Rent Authority to fix the standard rent;

landlords and tenants to keep the premises in good habitable conditions;

both landlord and tenant not to out off or withhold essential supply or service without, just and sufficient cause;

Rent Authority may make order for recovery of possession of the premises on grounds such as non-payment or rent/arrears of rent, subleting part/hole of the tenanted property without the consent of the landlord, etc.;

-re-entry of a tenant and payment of compensation to him in *case* landlord fails to abide by the conditions under which recovery of possession of premises was granted to him;

- recovery of possession for repairs and/ or rebuilding and re-entry of the tenant;
- —right to recover immediate possession of premises by a landlord who is in occupation of an accommodation of allotted to him the Government or any local authority and he is to vacate it in pursuance of any general or special order of the Government/ local authority;

Right to recover immediate possession of premises for self-residential use to accrue to members of armed forces released/retired from service or to dependent of a member of any armed force who had been killed in action, or a member of the armed forces having less than one year of service preceding the date of retirement from the forces; right to recover immediate for self-residential use to aecrue to a Central or State Government employee who had retired or is due to retire in less than one year; immediate recovery of possession or premises to widows, handicapped persons and aged persons for residential or non-residential use for sell or his/her family or for anyone ordinarily living with him/her; limited period tenancies and recovery of possession on termination of the period thereof; also provides for damages in case possession is not handed over on termination of tenancy; order of recovery of possession to have binding effect; enhanced penalities for violation of the provisions of the Act either by the tenant or the landlord.

As the hon. members are aware, the rent litigation under the existing Delhi Rent Control Act, is a away time-consuming affair and thousands of cases are pilang up at varibus levels of judiciary including the High Court. With a view to streamlining the judicial process, a salutary pro. [Shrimati Sheila Kaul] vision has been made in the proposed Bill which pertains to the setting up of the Delhi Rent Tribunal and its Benches, barring the jurisdiction of all courts except the Supreme Court, to deal with all rent matters. This Bill also provides for transfer of all cases pending before High Court etc., •to the Tribunal from the date to be notified by the Central Government. With these introductory remarks I would now move that the Delhi Rent Bill, 1994 be taken into consideration.

The question was proposed.

SHRI O. P. KOHLI (Delhi); Sir, as the Bill is going to affect the people of Delhi very widely and very deeply, it would be in the fitness of things that this Bll is referred to the Delhi Government which is an elected Government and also for eliciting from the people their enlightened opinion with regard to this Bill. With this in mind, I propose this amendment:

I beg to move:

"That the Bill to provide for the regulation of rents, repairs and maintenance and evictions relating to premises and of rates of hotels and lodging houses in the National Capital Territory of Delhi be circulated for eliciting opinion thereon by the 15th December, 1995."

"The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने संशो-धन प्रस्तुत करते समय हा कि इस बिल का दिल्ली की जनता पर बहुत व्यापक ग्रौर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है--मकान मालिकों पर भी ग्रौर किरायेदारों पर भी । चूंकि दिल्ली में अब जनता की चुनी हुई सरकार स्थापित हुई है इसलिए यह उपयोगी होगा ग्रौर सब दृष्टियों से उचित होगा कि इस बिल को दिल्ली की निर्वाचित सरकार को उसकी राय जानने

के लिए रेफर किया जाए। यह बिल ऐसा है जो दिल्ली की लाखों लाख जनता को, लोगों को प्रभावित करेगा । यह बिल ऐसा है जिसने किरायदारों को भी संतोध होगा और ग्रसंतोष होगा, मकान मालिकों के। भी संतोध होगा और प्रसंतोध होगा इस बिल के चंकि व्यापक और दुरगामी प्रभाव होने वाले हैं। इसलिए मेरा सब से पहला निवेदन तो यह है कि लोक्स्तंत्र का भी तकाजा है कि दिल्ली की चुनी हई सरकार को यह बिल रैकर किया जाए। उसकी राध गांगी जाए, जसकः ग्रोपीनिथन लिया ज ए, दिल्ली की चुनी हई विधान सभा में इस बिल पर चर्चा करें। जो रूप वहां से आए उसको दिल्ली की अनता की राथ के रूप में ध्यान में रख कर इस बिल में उचित संशोधन री-कांसिड्रेशन जहां-जहां हो, वे किए जाए। महोदय इस बिल के प्रोविजस का विश्लेषण करने पर एक धारणा बनती है कि यह बिल एंटी-टेनेंट के, किरायेदार के खिलाफ जातः है । इसके विभिन्न प्रावधान ऐसे हैं जो किरायेदार को मकान मलिक के रहमो-कर्म पर छोड़ देते हैं । दिल्ली में चुंकि देण के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से, भिन्न-भिन्न इलाकों से लोग ग्रा कर बसते हैं, एक कॉस्मोपोलिटन शहर है, यहां उन लोगों के पत्स खुद जमीन खरीद कर मकःन बनःने और मकान मालिक हो सकने की हैसियत ग्रौर ग्रौकात नहीं होती इसलिए वे छोटे-मोटे किराए दे कर किराये-दःर की हैसियत से रहते हैं। ऐसे लोगों की सख्या दिल्ली में लखों-लाखों की है, जो मकान म लिका की हैसियत न प्रब रखते हैं, न ग्रामे रख पायेंगे, वे किर येदार की हैसियत ही रखेगे । ऐसे लाखों-लाख लोगों को मकल म लिकों के रहम-ग्रो-कर्म पर छोड़ देना उचित नहीं होगा। कूल मिला कर इस बिल का थर्स्ट एटी-टेनेंट है, किर येदार के विरोध में जाता है । मिसाल के तौरपर जिसका मैं जिक विस्तार में बाद में कष्णा यहां जिन ग्राउंड्स पर जिन ग्रधारों पर मकःन सालिक किरायेदार से मकान खाली करवा सकतः है, वेदखली करवा सकतः है, उस क्लाज में, क्लाज 22 उसमें इक्वियान, बेदखली के जो ग्राउंड्स और आधार दिए गए हैं उन आधारों को देखें तो ऐसे लगता है कि मकान मालिक

को बहुत से ऐसे ग्राधार दे दिए गए हैं

Rent Bill, 1994 318

हो ग्रीर मकःन मःलिक has no other reasonably suitable ac-

commodation. **ग्रब यह "रीजनेब्ली सूटेवल एकोमोडेशन**" कैसे डिटरमिन होगा ? इसको लेकर विवाद होंगे, झगडे होंगे, मक न मधलिक कहेगा कि मेरे पास एकोमोडेशन तो है, रेकिन जो एकोमोडेेशन मेरे पास हैं, वह रीजनेब्ली सुटेबल एकोमोडेशन नहीं है और किर एदार कहेगा कि वह रींजनेब्ली सूटेबल एकोमोडेशन है। इसलिए इस बत को लेकर विवाद ग्रौर झगडे होंगे। तो मैं कहना च हता हूं कि यह बिल जो कि झगड़ों के समधान करने की नीयत से लाया गया है, इस बिल में इस सरह के बहुत से प्रोबीजंस हैं जिन के बारे में एकदम सुनिश्चित और स्पेसिफिक तरीके से बात नहीं कही गयी है ग्रीर उस को "वेग" छोड़ दिया गय है, ग्रस्पष्ट छोड दिया गया है और जहां किसी को एडज़केट करना होगा, किसी को डिटरमिन करनः होगा, वहां मकान म लिक ग्रीर किर एदारों के ग्रापस में टकर व होगा । उस को लेकर फिर विवाद, मकदमेब जियां होंगी. म मले लबे लटकेंगे और उलझनें पैदा होंगी·।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चःहतः ह कि इस बिल में कहीं-इस प्रकार कः कोई प्रोगीजन नहीं है कि ग्रगर मकान माकिल ग्रपना मकान किसी स्टेज पर बेचना च हे ग्रौर उस के मक न में ग्रारसे से किर एद र रह रहा हो, 20-25 या 30 वर्ष से रह रहा हो, तो पहला क्लेम उस मकान को खरीदने का किरःएदार का होगा, ऐसः इस बिल में कहीं प्रोवांइडेड नहीं है अब ग्रन्प विचार कीजिए में किसी मक न में किराएदार की हैसियत से 30 वर्ष से रह रहा हं. वहां रहते-रहते वह घर सब दृष्टि से मेरे जीवन कः भ्रभिन्न भ्रंग बन गया है, जीवन ، की एक इकई बन गया है। तो अपनर मकःन मःलिक उस को बेचना चाहता है उस को खरीदने का पहला हेक मझे होनः च हिए और एक उचित राशि लेकर जोकि किर एकः 80 गुनाहो सनाती है, सौंगुनः हो सकती है थः जो मार्केट प्राइस है, उस म केंट प्राइस के आसपास की कोंई भी रीजनेबल कीमत हो सकती हैं उसे देकर मकन को खरीदने का पहला हक

जिन परकि वह ग्रास नी से किरायेदार से मकान खाली करवा सकता है, बेदखली करा सकतः है, मैं उन प्रावधानों क जरः बाद में जिन्न कहंगा । इस स्टेज पर में केवल यह कहना चाहुंगा कि यह बिल किरायेदः र के खिल फ जाता है और इसमें किर येद रों को मकान म लिक की ज्य दसियों से बचाने के लिए कोई सेफग ई प्रोव इड नहीं किए गए हैं । ग्रभी मंत्री महोदया ने कहा कि दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल के चलते बहुत से लिटिगेशन मकदमेब जिया चलती रही ग्रौर बडी संख्या में इस प्रकर के मुकदमें इकट्ठे हो गए । लेकिन यह बिल इस ढंग का है कि इसमें भी लिटिगेंशन को प्रोत्स हन मिलेगः, बढावा मिलेगा। इसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी है जिनको तय करने में मक न मालिक ग्रौर किरायेदार के बीच विवाद पैदा होंगे श्रीर फिर सःराम मला लिटिगेशन और मुकदमेबः जी में उतरेगा । उदाहरण के तौर पर इस बिल की क्लाज 3 में यह बला कही गई है कि 3500 रुपये डीम्ड रेट से श्रधिक की जो किरायेदारियां होंगी वे इस बिल के दायरे से बाहर होंगी। अब यह डिम्ड रेंट 3500 या 3500 अधिक यह कौन तय करेगा ? यह अयथि िटी तय करेंगी। ग्रगर रेंट यथारिटी को यह एडजजुकेशन निर्धारित करने कः रहेगः तो बःर-ब र इसको लेकर विवःद होंगे, झगड़े होंगे । यह एक उद हरण मैंने ग्रायके सामने रखां है। इसी ढग से इस बिल में यह प्रोविजन कियां गयः है कि यहां पर मक न मःलिक श्रौर किरायेदर पूरनी किएए-दारियों के सिलसिले में कोई एक एग्रीड एग्रीमेंट पर नहीं पहच पते, तो जॉइट एग्रीमेंट के बजाय वह सेपरेट एग्रीमेंट भी दायर कर सकते हैं। ग्रब मक न म/लिक,. अपनी मर्ते रखेगा किरायेदार अपनी मर्ते रखेगा और ग्रगर सेपरेट एग्रीमेंट फाइल किए जा सकेंगे तो फिर उस को लेकर तरह-तरह के विष द, तरह-तरह के झगड़े पैदा होंगे।

इसी तपह से इस बिल के क्लाज-22 (ग्र) में कहः गयः हैं कि मकान मालिक, किराएद र से मकान खाली करवा सकत है ग्रगर मकान मालिक को उस की जरूरत

[Shri O. P. Kohli]

किराएदार को होना च हिए । यदि किर एदार उचित कीमत देकर खरीदने को तैय रन हो तो फिर जिस व्यक्ति को वह चाहे बेच दे ऐसा कोई प्रोवीजन इस में होना बहुत जरुरी है जिस का कि इस में बिल्कुल प्रभाव है । मैं समझाता हू कि यह एक अनदेखी हुई महत्वपूर्ण बात है जोकि इस में छोड दी गयी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय इस बिल में जो इविक्शन के प्रोवीजंस हैं, वह सभी -क्रे-सभी प्रोवीजंस लड लॉर्ड के पक्ष में लोडेट हैं ग्रौर किराएदः र के खिल फ जाते हैं। इन में से कुछ प्रोवीजंस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे कि क्लॉज-22 सबक्लॉज (2) है । क्लॉज 22, इसमें ग्राउण्ड स्राफ रिकवरी दी गई है कि किन ग्राउण्ड पर मकान सलिक किराएदार से बदखली करवा सकता है। इसमें क्लॉज 22(ए) में कहा गया है कि ग्रगर किराएदार लगातार दो महीने किर-था न देगए तो मकान म लिक उसरी मकान खाली करवा सकता है। अब में समफत ह कि यह दो महीने का पीरिएड बहुत कम है। ऐसे बहुत से मौके होते हैं, जब जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां पैक होती है. कि किर एद र दो महीने किर यान दे सके । यह नहीं कि उसकी किराया देने की उसकी नियत नहीं है, वह किर थ, देना चंहता है, परन्तु कुछ मजबूरियां हो संकदी हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वह किर था न दे सके । इस चीज को ग्राधार बन/कर <u>_____</u> उससे मकःन बेदखली करवा सकता है । मै समझता हूं कि यह जो बेदखली का ग्राउण्ड है, यह मकें न म लिक को फायदा पहुंचाने के लिए है ग्रीर किराएदार के खिलाफ जाता है। इस पीरिएड को, जो दो महीने का है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए । दो महीने की अवधि बहुत ही रापर्याप्त है, बहुत ही कम है।

ज़्पसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से क्लॉज 22(सी) का जिक मैं कुरना चाहत(हूं। इस क्वॉज में कहा गया है---- (i) if the premises have been let on after the 9th day of June 1952, without obtaining the consent in writing of the landlord.

(ii) if the premises have been let beforethe said date, without obtaining his consent.

इसमें जो एक प्रोवीजो दिया गया है, वह प्रोवीजो बहुत खतरन क है, उसका दुरुपयोग हो सकता है, बहुत मिसयूज हो सकता है । इसमें कहा गया है कि अगर किराएदार ने उस प्रोपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि उससे पड़ौस के किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि न्यूसेन्स की गई है या उसने उसे डेमेज किया है या वह डेटिमेटल टू द इंटरेस्ट आफ द लैटलोर्ड है । यह बड़ी धजीब बात है,

Provided that no application for the recovery of possession of any pre. mises shall lie under this clause unless the landlord has given to the tenant a notice in the prescribed manner requiring him to stop the misuse of the premises and the tenant has refused or failed to comply with such requirement within one month of the date of service of the notice and no order for eviction against the tenant Shall be made in such a case unless the Rent Authority is satisfied. Satis-fied to what extent, in what form Unless the Rent Authority is satisfied that the misuse of the premises is of such a nature

ग्रब इसमें मिसयूज को डिफाइन किया गया है—

misuse of the premises is of such a nature that it is a public nuisance. What constitutes a public nuisance?

रेण्ट ग्रयोरिटी कैसे तय करेगी कि पब्लिक न्युसेन्स क्या है ?

or that Jt causes damage to the premises— Damage to what extent?—or is otherwise detrimental to the inter. ests of the landlord. What is detrl-

That the tenant has used the premises for a purpose other than that for which they were let—

mental to the interests of the landlord?

such and such thing is detrimental to the interests of the landlord

इस ब्राधार पर किराएदार स मकःन खाली करवा लिया जाएगा । यह बाउण्ड अपने घाप में बहुत ही ब्रापत्तिजनक लगती है बौर इसका खूब मिसयूज होने का, दुरुपयोग होने का खतरा है । इसमें मेरा यह निवेदम है कि पब्लिक न्यूसैंस को डिफाइन करना, तथ करना मुश्किल है बार इससे जगड़े, टंटे बौर मुकदमेबाजी बढ़ेगी । फिर क जिज डेमेज टू दि प्रमिसिज, उसके डेमेज का एक्सटेंट क्या होगा, इसको तय करने में कठिनाई होगी 1 Or is (herwise detrimental to the interest of the landlord.

यह तो स्वीपिंग किस्म का ब्राउंड देदिया गया है जिसका बहुत दुरुपयोग हो सकत है।

फिर इसमें क्लाज "ई" में कहा गया है कि ग्रगर कोई प्रिमिसिज ग्रनसेफ ग्रीर श्रनफिट फार हुयुमन हेबिटेशन है तो उसको रिपेयर करने के लिए मकान मालिक किराएदार से उसको खाली करवा सकत. है। ग्रब मःन लीजिए कि कोई प्रिमिसिज **ग्रन-सेफ ग्रौर ग्रनफिट है, मकान म**ालिक ने उसको किरएदार से इसलिए खाली करबा लिया कि वह उसकी रिपेयर कराएगा । अब वह रिपेयर कितनी देर में पूरी करेगः ? क्या वह छः महीने में रिपेयर पूरी कर लेगा एक साल में पुरी कर लेग, डेढ़ स ल में पूरी कर नेग, रिपेयर पूरी करने में किलना समय लगेगा और इतनी देर तक किराएदःर क्या बेदखल पड़ा रहेगा ? कहीं इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया कि मकान म लिक रिपेयर के लिए भ्रधिक से ग्रधिक कितना समय ले सकता है । अगर किसी मकन के मन-सेफ होने की हलत में उसकी रिपेयर के लिए मकान मालिक मकान खाली करवाता है किरण्दार से तो रिपेयर हो जाने के बाद उस किराएदार को वापिस उस मकान कः किर एव र बनने का हक होना चाहिए ग्रौर स्पियर में कूल कितना समय लगेगः, यह प्रोबाइड किया जाना चाहिए ।

इसी तरह से क्लाज ''एफ, जी, एच ग्रौर ग्राई'' है, इन सब में जो ग्राउड्स दिए गए हैं वे यह दिए गए हैं कि अपगर मकान मालिक को इमीडिएट डेमोलिशन करानः है तो वह किराएदःर को मकान से बेदखल कर सकता है। ग्रगर वह रिपेयर कराने के लिए किरएदार को बेदखल करना चाहे तो वह कर सकता है । अगर उसको रि-बिल्डिंग या रि-कंस्ट्रक्शन के लिए किराएद र से मकान खाली करवाना हैं तो बह करवः सकता है । अगर उसके मकान की दो मंजिलें हैं ग्रौर वह उसको ग्रौर बढ़ान. चहता है तो वह मकान खाली करवा सकता है । इन सब ग्राउंड्स में मकन मालिक को किराएदार से मकन खाली करवले में कैसे मुविधा हो सकती है, कैसे सरलता हो सकती है, कैसे ग्रासःनी हो सकती है, इसकी ग्रवश्य चिता दिखाई पड़ती है लेकिन किराएदार बेचारे का क्या होगः, उसकी स्रोर कहीं ध्यंन नहीं जःता। फिर मान लीजिए कि स्पियर के नाम पर डेमोलिंशन के नाम पर, रि-िल्डग या रि-करू ट्रक्शन के ना ं पर मकास मालिक किरायदार से मकान खाली करवः लेता है, ऋब उसने जिस उद्देश्य से मकान खाली करवाया है, वह उद्देश्य तो है रिपेथर का, रि-कंस्ट्रक्शन कां, रि-बिल्डिंग कां और इसका सीधा स अर्थ यह होना च हिए कि रिपेयर, रि-कंस्ट्रकान ये। रि-बिल्डिंग हो जाने पर किरांएदार को यह हक होन चाहिए कि फिर बह यापिस उस रिपेयर्ड, रि-बिल्ड या रि-कंस्ट्रक्ट मकान में फिर से किराएदार बन सके, अपने उस हिस्से में जो पहले उसके पांस थां। यह रिपेक्षर के रि-कन्ट्रक्शन कः पीरियड कितनः होनः जाहिए, यह भी कहीं पर ले-डाउन होन, चाहिए, नहीं होगा तो मकान म लिक कोई न कोई बहानाः बनाकर-कंस्ट्रक्शन मैटिरियल नहीं मिला या यह कहकर कि लेबर दिल्ली छोड़कर चली गई, लेबर उपलब्ध नहीं है, कभी यह कहकर कि मेरा दिवाला निकल गया, कभी यह कहकर कि यह कागज सरकार के उस महकमें में ग्रड़ा हुआ है या सरकार के उस महकमें में अड़ा हुआ। है, यहां पर रिपेक्षर यः रि-कंस्ट्रवशन के लिए मेरी फाइल डी०डी०ए० में यहां यहा वहां अटक गई है, यह इस रिपेयर के पीरियंड को, रि-कंस्ट्रक्शन के पीरियंड को,

[Shri O. P. Kohli]

रिबिस्डिंग के पीरियड को प्रोलोंग कर सड़तः है, तो वह किर एदार के हितों के विरुद्ध पड़ेगः तथा किराएदार को नुकसान पहुंच एगा । इसमें यह भी कहा गया है कि किर एदार को रि-एंट्री का प्रधिकार तो होगा पर किस हालत में रि-एंट्री का प्रधिकार होगा??

"... if reconstruction is to an extent of les_s than 75 per cent-.."

ग्रंथ यह वात हमारी समझ में नहीं ग्राई कि किराएदार से इसलिए मकान खाली कराया कि उसको रि-कंस्ट्रक्शन करना है।

"...if reconstruction is to an · extent of less than 75 per cent..."

'त¥ः तो उसको एंट्री का प्रधिकःर होगा if it is less than 80 per cent तो उसको रि-एंट्री का ग्रधिकार क्यों नहीं होगा ? ग्रब ग्राखर कोई एक न्याय की बात है। में किराएद र हूं। मकल मलिक ने किराएद र से यह कह कर मकान खाली करवः लियः कि मुझको रि-कंस्ट्रक्ट करवाना है । ठीक है, ग्राप उसको रि-कस्टक्ट करवा सीजिए, जितना हिस्सा मेरे पास पहले था तो उतना हिस्सा रि-कंस्ट्रक्ट होने के बाद पुझे दे दीजिए । उसमें यह**्यार्त क्यों लगी हुई है** कि उसको रि-एंट्री का प्रधिकार तभी होगा ग्रगर रि-कंस्ट्रक्शन की सीमा कितनी है। मात्रा कितनी है लैस दैन 75 परसेंट में समक्ष नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ है और क्या मकान मार्श्लिक इसका दूरुपयोग करेंगे या नहीं करेंगे?

इसमें क्लॉज 22 का सब-क्लॉज के है। उसमे कहा गया है कि अगर टीनेंट को मकान मालिक ने किर ए पर इसलिए मकान दिया है कि वह टीनेंट उस मकान मालिक के यहां नौकरी करता है और जब वह उसके यहां नौकरी करना छोड़ द He cases to be the. employee •

तो उससे मकःन खाली करवः लेगः । अब झ प देखिए, झाका क्या दुरुपयोग हो सकतः है ? सब-क्लॉज---के में कहा गया है : "That the premises were let to the tenant for use as a residence by reason of his being in the service or employment of the landlord, and that the tenant has ceased, whether before or after the commencement of the Act to be in such service or

employment."

यानी जब तक मैं मकान मालिक के यहां नौकरी करता हूं तब तक तो मकान मालिक के यहां में किराएदार बनकर रह रहा हूं और जिस दिन में बहां से नौकरी छोड़ देता हं, उस दिन किराए का मकान मझ से छीन लिया जाएगा । अब इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है ? मान लीजिए, मकान मालिक को मकान चाहिए । मैं उसके यहां नौकरी करता हं । मकान मालिक कोई न कोई बढाना करके मझको नौकरी से हटा देगा या ऐसी कंडीशन किएट कर देगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा जिन परिस्थितियों में मुझे वहां से नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पडेगा। या ऐसी निगेटिव कंडीशन किएट कर देगा जहां मेरे लिए नौकरी करना मक्किल हो और मैं नौकरी छोड़ दूं। तो नौकरी छोडते ही मेरा किराएदारी का हक समाप्त हो गया । इस क्लॉज के पीछे क्या विवेक है, मैं समझ नहीं पाया । क्लॉज-22 का संब-क्लॉज--के जो है, उसका प्रोविजो देखिए । उसमें कहा गया है कि :

"Provided that no order, for the re-covery of possession of any premises shall be made on this 'ground if the Rent Authority is of the opinion' that there is any bona fide dis pute as to whether that tenant has ceased to foe in the service or employment of the landlord,"

पहले तो इसी बात को लेकर के झगड़े होंगे। किराएदार कहेगा कि मैं तो इसकी सर्विस में हूं। मान लीजिए, मैंने 'यह क्लेम किया कि मैं तो इसकी नौकरी में हूं और रोज इसके यहां नौकरी पर ग्राता हं। तो मकान मालिक कहेगा कि यह मेरी नौकरी में नहीं है। तो फिसका क्लेम सच माना जाएगा । दावे होंगे प्रलग-ग्रलग । दूसरी बात यह है कि मकान मालिक अगर किसी किराएदार से पिंड छुड्ले पर तुला हो तो फिर वह ऐसी परिस्थितियां जरुर पैदा कर सकता है कि किराएबार पहले वह नौकरी छंड़िंगा फिर उस मकान पर उसका किराएदारी का जो हक है, उसके छोड़ेगा इसलिए यह क्लॉज ऐसा है जो मकानमालिक को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रोर किराएदार के हितों के खिलाफ जाता है ।

प्रब इसमें एक बात झौर कही गई है क्लॉज "एल" में । इसमें कहा गया है कि डागर कोई किराएदार मकान को सब्सटेशियल डैमेज पहुंचाता है तो किराएदार से मकान मालिक मकान खाला करवा जकता है झौर फिर हर सब्सटेशियल डैमेज को डिफाइन किया गया है कि छह महीने के किराए के बराबर का खर्च झगर उसकी रिपेयर में लगे । **इ** मैं इसका प्राविजन पढ़ता हूं:---

"That the tenant has whether before or after the commencement of this Act, caused or permitted to be caused substantial damage to or such, alteration of the premises as has the effect of changing its iden-ty or diminishing its value."

म्रब इसमें जी सन्सर्टमयल डैमेज है, उसकी परिभाषा भी यही है ।

"For the puoposes of this clause, "substantial damage" shall mean such damage as shall involve an expenditure equivalent to six months' rent..."

ग्रब सोचिए कि मैं एक किराए के मकान में रहता हूं। मकान मालिक को एक हजार र,पयां किरांया देता हूं। छह महीने का किराया हमा छह हजार रुपया । छह हजार रुपया खर्च करके मैंने उस मकान में कोई एक छञ्जा निकाल लिया, कोई एक खिड़की निकाल ली, थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया तो यह जो मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, कुछ परिवर्तन कर दिए, कुछ तबदीली कर दी, इस पर मेरा छह हजार रुपया खर्च हा गया मीर यह छह हजार रुपया छह महीने के किराए के बराबर हो गया । इसका ग्राधार बनाकर मकान मालिक मुझसे मकान खाला नहीं करवा सकता है । इतने हलके-हलके प्राउंड्स, इतने साधारण ग्राउंड्स पर ग्रगर मकान मालिक को मकान खाली करवाने का ग्रधिकार मिल जाएगा ता निश्चित रूप से किराएदारों का भारी उत्पीड़न होगा ।

उपसंभाध्यक्ष महोदय, उसमें एक बात ग्रौर कही गई है क्लॉज "एम" में---

"that the tenant or any person residing with the tenant has been convicted of causing nuisance or annoyance to a person living in the neighbourhood...."

ग्रब मान लीजिए, मैं किराएदार हूं। मेरे साथ कोई मित रहता है । तो मेरे मित के किसी व्यवहार ग्रीर ग्राचरण से ग्रगर पड़ोस का व्यक्ति एनॉएड होता हैं ती

this becomes a ground for conviction

बड़ा विचित्र किस्म का प्रोतिजन है।

"That the tenant or any person residing with the tenant has been convicted of causing nuisance or annoyance to a person living In the neighbourhood of the premises."

इर तरह के छोटे -छोटे ग्राधारों पर मकान पालिक को ऐविक्शन का एक बहुत स्वीपिंग ग्रधिकार दे दिया गया है जिसका बहुत ही दुरुपयोग होने का खतरा है।

[Shri O. P. Kohli]

फिर में एक बात का जिक और करना चाहता हूं और मैं धव आपका ध्यान दिला रहा हूं क्लॉज "मार" की तरफ । क्लॉज "आर" में कहा गया हैं कि अगर मकान मालिक का अपने लिए या अपने पर डिपेडेंट किसी ब्याक्त के लिए जहरत हैं ता मकान मालिक किराएदार से मकान खालों करवा सकता है । लेकिन इसमें फितना स्वीपिंग आधेकार दे दिया गया हे

"that the premises let for residential or non-residential purposes are required, whether in the same form or after reconstruction ox re-building, by the landlord for occupation for residential or nonresidential purpose for himself or for any member of his family if he is the owner thereof, or for any person for whose benefit the premises are held and that the landlord or such person has no other rpasonably suitable accommodation

' श्रेब मन्न लीजिए कि मकान मालिक के पास कोई म्रौर ग्रकामोडेशन भी है फिर भी वह चाहता है कि मैं किर एदार से अपना मक ग खाली करवाऊं तो वह कहेगा कि मेरे पास जो अकामोडेशन है, वह रिजनेवली सुटेबल अक मोडेशन नहीं है और मकन म लिक इसी को रैंट अथारिटी के सामने स बित करने में लगा रहेगा कि मेरे पास जो अकामोडेशन है वह रिजनेवली सुटेबल अकःमोडेशन नहीं है इसलिए मुझे किर एद र से मकान खाली करवाने का अधिकार है। इस तरह का प्रोवीजन इसमें किया गया है । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो क्ल ज 22 है, जिसमें मकःन मालिक को टेनेंट से इवींक्शन का अधिकार दियाँ गया है, इसमें जो प्राउंड्स दिये गये हैं, ए से ग्रार तका, वह सबके सब ऐसे हैं जिनका मकान मालिक के हित में ज्यादा झकाव है और जो किराएदर के विरोध में जाते हैं दूसरे, उसको लेकर डिसप्यूट ग्रीर विवाद बढेंगे, कम नहीं होंगे ग्रीर तीसरे किर एदार मकान मालिक के रहम-ग्रो-करम पर हो जाएगा ।

अब मैं अधिकरी बात कहकर प्रपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दिल्ली में एक पडति चल रही है कि महत मालिक किराएदार से 11 महीने का ऐग्रीमेंट करता है तकिं। । महीने के बाद मकनमा लिक का किर एद। र से मकान खाली करवाने की सुविधा बनी रहे । ग्रव मैं ग्रापके मह्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहतः हं कि क्या किर एदार को प्रोटेक्शन देने के लिए एसा प्रोबीजन दिल्ली में हीं महीं हो सकता कि जो एक लिभिटेड पीरि-थड की टेंनेंसी होगी, वह भी कम से कम 3 स ल से कम की नहीं होगी य कम से कम 5 स⊪ल से कम की नठीं होगी ताकि कम से कम 3 साल या 5 सःल तक तो किर एदः र के रूप में वह ग्रपने श्र पको सुरक्षित महसूस कर सके? ग्रभी तक तो मकन म√लिक किराएद र से 11 महीने की टेंनेंसी के लिए ऐग्रीमेंट करव तः है और 11 महीने के बाद उसको खाली करव ने का दौरा चलता है श्रौर इसको लेकर मुकद्मेबाजी होती है, मामले लटकते हैं और मकान म लिक तथा किरःएदःर के संबंध विगड्ते हैं । क्या किराएदार को हम तीन साल की, पांच साल की या सात साल की मिनियम सूरक्षा या प्रोटेक्शन देने को तैयार हैं या नहीं और अगर हमें मिनिमम प्रोटेक्शन देनी है तो इस बन्त क जिक होना च।हिए कि टेंनेंसी का पीरियड 3 साल से कम का नहीं होंगा था पांच साल से कम का नहीं होगा । 11 महीने की टेंनेंसी के ऐग्रीमेंट का नया तुका है ? इसका खूब दुरुपयोग हो रहा है और इस बिल को तैयार करते समय इस पहलू की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिए उप-सभाध्यक्ष महोदय, मेरा श्र,पके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह बिल दिल्ली के लाखों किरांएद रों को प्रभावित करने जा रहा है इसलिए इसमें हम ऐसा प्रोबीजन न करें जो मकान मालिकों को किरण्एदारों का उत्पीडन करने का, एक्स-प्लायटेशन का अवसर प्रदान करे । इस-लिए इस बिल को दिल्ली सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रैफर करना चाहिए - ग्रौर एक एनलाइटिड प्रोपीनियन लेने के लिए इस बिल को ननता में सरकुलेट करना बहुत आवश्यक

है नहीं तो यह बिल जिस मकसद से लागा गया है, वह मकसद पूरा नहीं होगा बल्कि लिटीगेशन, डिसप्यूट, झगड़े ग्रौर विवाद प्रधिक बढ़ेंगे । इसलिए मैं इस बिल को पुनः एक बार दिल्ली सरकार को ग्रौर एनलाइटिड ग्रोपीनियन एलीसिट करने के लिए सरकुलेट करने का ग्रनुरोध ग्रापके माध्यम से करता हूं ।

श्री मोहम्मद ग्रफजुल उर्फ भीम ग्रफजल (उत्तर प्रदेश) : वाइस चेयरमैन साहब, दिल्ली रेंट कंट्रोल के सिलसिले में जो श्रमेंडमेंट यहां पर लाया गया है, इसके सिजसिजे में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोहली साहब ने तमाम तकसीस के साथ इस पर बात की है ग्रौर बहुत ही इम्पार्टेट बातें उन्होंने उठायी हैं । दरप्रसल, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां हिन्दुस्तान से ज्यादा से ज्यादा लोग आकर रहना चाहते हैं और यहां पर किरायेदार और मकान मालिक के दरमियान झगड़े और विवाद के जो मामले हैं वे वर्षों से चले ग्रा रहे हैं । ग्रवाम की यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रौर बड़ी ही महम डिमांड रही है कि दिल्ली रेंट कच्टील ऐक्ट में तरमीम की जाए ग्रौर उसको ज्यादा फायदेमंद बनाया जाए । मेरा यह कहना है कि यह बात बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट ने इस पर ज्यादा तवज्जह भी दी है कि दिल्ली में मालिक मकान जो हैं उसकी हालत बहत पतली थी ग्रौर किराएदार के हकूक जो हैं वे.. (व्यवधान)... इसका दूसरा ग्रास्पेक्ट यह भी है ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकें पास बहुत सारे मकान हैं और मेरे हिसाब से उनको मालिकाना राइट्स भी दिए हैं लेकिन उनको बहुत परेशानी है । यह बात सही है कि एक आदमी एक से ज्यादा मकान दिल्ली में नहीं रख सकता लेकिन...(ब्यवधान),.हमारे यहां एक बात कही जाती है बहुत पुराने जमाने से, श्रीर सब लोग जानते हैं कि कल्जा सँचा दावा झूठा । एक ग्रांदमी, जिसका किसी मकान पर कब्जा है वह उसका मालिक है। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं। मैं तो कह सकता हूं कि पुरानी दिल्ली में ग्राज भी ऐसे-ऐसं मकान हैं जिनकी बेल्यु करोड़ों रुपये है और उनमें जो किरायेदार बैठे हुए हैं

उनका किराया है 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये । ये प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। मैं खुद एक ऐसे मकान में रहता हूं जो कस्टोर्डियन का मकान है और जिसका किराया सिर्फ 9 रुपये महीता है। मुझे कई लोगों ने कहा कि ग्राप दिल्ली में मकान क्यों नहीं खरीदते हो । लेकिन अगर में उसने छोटा मकान खरीद् तो पहली बात यह है कि मुझे काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे और दूसरी बात यह है कि एक साल में जितना किराया कस्टो-डियन को देता हूं उससे छोटा मकान खरीदकर, मालिक बनकर इससे ज्यादा मुझे हाऊस टैक्स देना पड़ेगा । इसलिए इसमें रहना मेरे लिए फायदेमद है ग्रौर में चाहता हं कि यह चले । लेकिन मेराख्याल है कि इन जनरल यह टेंडेसी नहीं होनी चाहिए । दिल्ली के ग्रंटर जगह की कीमत बढ़ रही है और जब जगह की कीमत बढ़ रही है, चाहे वह सरकारी जमीन हो चाहे प्राइवेट हो, जी उसका मालिक उसकी, उसका हिस्सा मिलना चाहिए । यह बहुत सही है कि गरीबी बहुत है और इमारे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम किराए के मकानों में रह रहे हैं । अगर उनका किरांया बढ़ा दें तो उनको तकलीफ बगी। लेकिन इसका भी कोई सीमा होनी चाहिए मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूं कि वह यह बिल सायी । इस बिल में मकान मालिकों श्रीर किरायेदारों के बीच किसी हद तक बैलेंस कायम करने की कोशिश की गयी हैं। मैं कोहली साहब से एग्री करता हं कि इसका काफी ग्रासर किरायेदारों पर पड़ेगा। मैं यह बात जानता हूं कि चने के साथ या गेहूं के साथ कभी कभी-धुन भी पिसता है । इसमें बहुत सारे किराये, दार जो हैं वे भी पिस जायेंगे । लेकिन जब ग्राप इतनी बड़ी दिल्ली के इलाके के लिए कोई रेंट कंट्रोल ऐक्टलायेंगे तो उसमें ग्राप सूलेक्टिव नहीं हो सकते। में जानता हूं कि यह सरकार की मजबूरी है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोहली साहब ने यहां जो यह सवाल उठाया कि इसको दिल्ली की इलेक्टेड सरकार जो है, जो चुनी हुई सरकार है उसको रेफर किया जाना चाहिए ग्रीर उससे इस बारे में राय लेनी चाहिए मेरे ख्याल में जाहिर तौर पर इसमें कोई बुरी

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फं भीम अफजल]

त्रात नहीं है । यहां की सरकार वाकई ोक्टेड सरकार है, अवाम के नुमाइंदे की सरकार है स्रोर उसकी राय लेने में कोई हर्ज नहीं हैं । लेकिन कोहली साहब ग्रच्छी तरह से जानते कि यह कोई नया मामला नहीं है। इस पर मेरा ख्याल हैं कि बरसों से मंथन हो रहा है । दिल्ली एड-मिनिस्ट्रेशन, दिल्ली कारपोरेशन, दिल्ली के दूसरे इदारे दिल्ली के सिटीजन और मुखतलिफ फोरम्स इस बारे में डिसक्शन करते रहे हैं। कई बार यह सवाल पालि-यामेंट में भी उठाया गया कि दिल्ली के रेंट कट्रोल एक्ट पर नजरेसामी ना होनी चाहियें। में समझता हूं कि मिनिस्ट्री ने जो जिल पेश किया है, इसमें दिल्ली वालों की काफी मंशा, मर्जी, श्रोपनियन ली गई है। तो सरेदस्त इस बिन को दिल्ली सर-कार को रेफर करना मेरे ख्याल में कोई बहत ज्यादा उचित बात नहीं होगी । उँगुली तौर पर उनकी डिमांड को में गलत नहीं समझता हूं लेकिन उस बिल के ताल्लुक से कोहली साहब भी दिल्ली वाले हैं और जगमोहन जी बैठे हुए थे वह भी बहुत अच्छी श्रोपीनियन देंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है। वह पुरानी दिल्ली नई दिल्ली, इन संब ची को से वाकिफ हैं। अलबत्ता यह प्रोवि-जग जिसकी तरफ झोहली साहब ने त्वज्जो दिखाई है, में समझता हूं कि जो झापने दो महीने में इवीनशन रखा है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर अमेंडमेंट कर देना चाहिए । दो महीने की मृदुदत का जहां सवाल है, में समझता हं झेगर कोई श्रादमी दो महीने बाई चांस किराया न दे पाए मकान मालिक की रजा से बह पांच साल से रह रहा है, अगर दो महीने वह किराया न दे पाए तो उसके हाथ में झाप हथियार क्यों दे रहे हैं कि मकान मालिक जसका सामान उठाकर बाहर फैंक दे इसलिए दो महीने बहुत कम है। यह आम बात है कि आमतौर पर कभी कभी मकान मालिक तीन-तीन छ:-छ: सहीने किराया नहीं लेते हैं। किरायेदार किराया देना चाहता है लेकिन कभी कभी वह कहता है कि इक्ट्ठा ले लेगे, कोई ऐसी बात नहीं है । मेरा ब्यान है, मैं एग्री मारता हं कोइली साहब से कि यह मददत कम से कम एक साल होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): छः महीने की होनी चाहिये (व्यवधान)

श्री मोहम्मर अफजल उर्फ भीम अफजल : म्रापकी राय में छः महीने होनी चाहिये लेकिन में तो एक साल पर जोर दूंगा । आप कहते हैं तो मैं भी तरमीम कर लेता हूं लेकिन छः महीने से कम नही होनी चाहिये दो महीने में इंट्रेंशन पता नहीं लगती । इसलिए मंत्री जीहम ग्रापके बिल का समर्थन तो करेंगे, पांस भी करेंगे लेकिन मेरा ख्याल है आप खुद भी मानेमे कि दो महीने की मुद्दत काफी नहीं है। यहां तक जब हम पालियामेंट के मैम्बर नहीं रहते तो श्राप भी तीन महीने की छूट दे देते हैं फिर किरायेदार जो बरसों से रह रहे हैं, दो महीने में मकान मालिक के हाय में हथियार दे रहे हैं कि उसको निकाल कर बाहरकर दे। दूसरी बात में कहना चाहुंगा कि बिल और कानून तो ब्रपनी जगह हैं। हकीकत यह है कि हमारी नीयत क्या है यिल क्या है मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अन्दर बहुत से लोग हैं जिनके पास -बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी जमीनें हैं । ग्राजकल सिर्फ कारोबार के लिए काम किया जा रहा है। जमीनें खरीद ली हैं, मकान खरीद लिए हैं, जरूरत नहीं है लेकिन पैसा है, इसलिए खरीद लिये हैं । ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। बल्कि में ग्रांपको यह बात बताऊंगा कि बहुत सारे मामले ग्रापकी, नजर में बाए होंगे कि लोग चार-चार पांच-गांच मकान ऐसी जगहों पर खरीद लेते हैं जहां लोग मारेमारे फिर रहे हैं-किराये पर मकान मिल जाए । लोग मकान खरीद कर रख लेते हैं । दो-दो, तीन-तीन साल मकान खाली रखते हैं क्योंकि ग्रब तो किरायेदार बसाने का रिवाज भी खत्म हो गया है। लोग 11 महीने का रिस्क भी नहीं लेते हैं वह इ सलिए कि 11 महीने में जो उनको जितना किराया मिलता है, उसकी माकिट वेल्य उस किराये से चार गुना, पांच गुन बढ़ जाक्षी है। इसलिए वह सोचता है कि किरायेदार को बसा कर ख्वाहमख्वाह क्यों श्रञ्चट भोल लू अब अगर उस मकान

प्रोपर्टी की वल्यु दो लाख की है जिसका 11 महीने के अन्दर पांच हजार रुपये किराया होता है लेकिन एक साल में उसकी वेल्यु पथ्चास हजार रुपए बढ़ जाती है। इसलिए वह सोचता है कि मुझे मकान किराये पर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दो साल के बाद वह उसे बेच देता है । ऐसे हजारों नहीं लाखों मकान दिल्ली के ग्रान्दर हैं। जगमोहन जी बैठे हैं, वह इन चीओं से बहुत ग्रच्छी तरह से वाकिफ हैं, उन्होंने बहुत काम किया है । मकानों पर ताओ लगे हुए हैं, लोग मारे मारे डूढते फिर रहे हैं। प्रोपर्टी डीलर्ज के पास मकान रखे हुए हैं । इसलिए कानून में कोई ऐसी गुंज।इश होनी चाहिए कि कोई मकान इस तरह रख कर न बैठे। कुछ मुल्कों में मैंने देखा है कि यह भी कानून हैवहां पर अगर कोई मकान खाली है यो शहरी को ग्रख्तियार है कि वह खाली मकान में जाकर बैठ जाए और बैठने के बाद कहे कि यह मकान इनका है मौर मैं किराया देने के लिए तैयार ह जो भी सरकार तय करे लेकिन l मकान खाली रहने का कोई मतलब नही है। जब लोग सड़कों पर सो रहे हैं तो किसी को यह अखितयार नहीं है कि वह मकान खरीदकर उसके ऊपर बैठा रहे। बल्कि मैं कहता हूं, हमारी सरकार यह कहती है कि तीन मंजिल मालिक की वना लो ग्रौर चौथी मंजिल बनाने वाले की बना लो । प्राप तीन मंजिल का किराया वसूल करते रहो लेकिन चौथी मंजिल ग्राप उस आदमी को दे दो जिसने ग्रापका मकान बनाया है । मकान

बनाने वाला साल भर तक मकान बनाता है, बाहर झोंपड़ी लगाकर रहता है, जब मकान तैयार हो जाता है तो उसे से बाहर निकालकर ग्राजाना पड़ता है श्रौर वह किराये पर चलना शुरू हो जाता है । इसीलिए सरकार को इस पर कोई तव्यजह देनी चाहिए । सख्ती से कदम उठाना चाहिए । खास तौर पर जो कवानीन बनाए गए हैं मेरा मानना है कि उनमें बुनियादी बात यह है कि कानून बहुत ग्रॅच्छे होते हैं लेकिन कानून का इतिलाक ठीक नहीं होता है, कानून को लागू ठीक ढ़ग से नहीं किया जाता है। इससे बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं । लोग उसका मिसयूज करते हैं । तो कोशिश सरकार की यह होनी चाहिए कि कानून में ज्यादा उस कानून के मिस-यूज का ख्याल रखें । ग्रगर ग्राप मिस-यूज का ख्याल नई खेंगे तो कानून के कोई मायने नहीं हैं में समझता हूं कि जिस दिन यह बिल पास होकर बाहरें आ जाएगा तो कई वकील बैठकर यह तलाझ करेंगे कि इस कानून में कौन कौन से लूपहोल्स है जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं ग्रौर वे उसके हिसाब से काम करना क्षुरू कर देंगे। मेरा कहना यह है कि बहरहाल उतनी ग्रहम बात नहीं है लेकिन जिस स्प्रिट से यह लाया गया है में उसकी सराहना करता हूं। इसको पास करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यह एक ग्रच्छा कदम उठाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के ग्रंदर वाकई इसमें कोई शक नहीं है किरायेदार को और कोहली साहब को भी थोड़ा सा है कि किरायेदार को इससे काफी नुकसान हो सकता है लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार न और दूसरे क्लाजेज के जरिए से काफी बैलेंस करने की को शश की है दोनों के हुकूक में और ग्रगर ग्रागे चलकर ऐसी कोई शिकायतें आती हैं तो सरकार मजीहद गौर कर सकती है इनको भी दूर करने के लिए । मेरा मानना है कि बहुत दिनों के बाद चूंकि इसमें तरमीम की जा रही है इसलिए इसमें यकीनन कुछ कमियां हैं लेकिन हम इन कमियों को नजरग्रंदाज क'रके इसको पास करने के हक में हैं। बहुत बहुत मुक्तिया।

335 The Delhi [RAJYA SABHA] النشري محدد منعنل عرف م- اصعنل درا نشس می دینے ہیں - لیکن انکومیت «ا تر پر د بېنس» • و د نس چير مين مماهب-دتى دىنىت كترول كت سيلسل ميں برى المتاجام البوب كتكوه المصاحب فتما تغعيل صمانف اس بربات كالم اوم بهن بحامياو تتبغث ما تيس الخوس اعلی میں - دراصل دتی ایک ایس جکہ سے جہاں معندومشان سے زبادہ سر باده در کر کرمیناچاینے میں *اور* بهل يركزد في داد دورمكان مالك سق درمبلن تعكي اورود ورجرمط بیں وہ ودشوں سے حطے از رہے ہیں عوام ک یہ بہت مینوو بو*دن اور بڑی ہے اہم* دماندم ب بع-تدرق وبنت تنركول ي میں ترجم ی جلے اور اسکودیا دد خاندہ مندبنا بإجلسه ميرايه به كريه باسبالل صعيبي اوركونمنت في اس يرزياده توجه بعي دي بع-كددتي ميں مالك مكان جديد استى حالت ببت بتهي تنى اور ر ار در ار سے صفوق جو میں وہ • • • . . . "مواظلت" . . . اسکادوسرا أسبيك يربع ساليس بوبي بيت م نوك ميں جنك باس بيت مسادر عمان بس اور مرح عساب سد لکوما المان † [] Transliteration in Arabic Script

بريشان ب - به بات معجيع م كرايت ادكرايت سعذيا دهمان دل سرنين د كموسكته اليم المكن • • "معراطلت" • • • بمادم يهان ايك بامت كي جاتى بع -ببت يرب زمان بساورسب وك جانع مين كم تعبض ستجادعو كم تعولما-ايت ادى جىسكاكسى كان برقبعنه یے وہ اسکامالک ہے ۔ میں دُنّی میں برد برمعا ميد - مين توكير سكتا يد اربرانى دنى ميں ايج ميں الميسے اليسيطان میں۔ جنکی ویلیو کرواوں مرم پیے میں - اور ان میں جو از اے داد سکھ بیں انطائرایہ ہے دو دو ہے۔ چادمین بانج دوبط دس رمبط - يه براليكوي بی میں - (ورسم کاری بھی میں میں نوداي*ت ايسهمان مين رستايون*. جوكستوري كامكان بيح اورجسكا مرديامف نوروي مهينه الجع تى بوكۇب زىمالە مېب دىي ميں مكان ليون بنس خريوس مهو -ليكن اكرمين اس سع جعومًا مكان خريدون توبيط بات يه جد بحد كان مسب خرج كر غريني اود دومریبات یہ ہے کہ (یک مسال کی جتنا كرديه لتسعر دين كوديتا مون -

Rent Bill, 1994

336

338

ميه-اسمين بيت مساوي مراي رواريس [اس من محدوثامان خود فريد تر- مالك نظر اس سے بادہ مجھے ہاؤس میکس دینا وه تی بسی جایش کے ۔ لیکن جب اُب آتی بدريكا اسيد اسمير دمينا مرصه زبلن جىدتى علاقه كيل الوكادين وينشكول فالده مغرب - اوريس جامشا بوركذيه ابكت للبط تواسمين آب مسلبك دبني يطبى - ليكن مراخيال به كمان جنرل يستنويس بهو معلى -مي جانتا بوب، يهم كارك بس بون جابية - (بد ازد جكه) في بجبورى بد - ليكر ميں يه تهناجا متابو بر ورمی مدیر اور جب جگری قیدمت بر رال المعايا لم توجع بعداحه دبي حياب وه سرماد يذمين مرد بع ذكس زدى ك البكترين مدكاريجي جاميع براني بيف ميو - جوام چنى بىرى مىركادىيى - (مىكۇر بۇلىيا مك أم كاحضر ملناحا يبغ- يه بات جانا چابيد اور (ساس باد مين میر بیمار غرببی بیت نه یاده سه اور ر المكيني چامية - مير خبال ميں ظاہ طور بماديم بمان ايسد ببت سع توك مين بی توں برمی بات بنی ہے۔ یہاں کی جوبكم المفسكة مكانون مين ارد اسع بين-معركادواقسى البكنووسركا ربيح عوامك الرانطاريه بجحاحين نوانكو تظيف محك نما تغوون ی سرکارییم اود امسکی د. (ع لیسے ليكن السلما مي كوك مسيما مونى جاسي -میں نور بنی جے بنی ہے ۔ لیکن کو میں جماعہ میں سرکار تومباد کباد دیتاہوں کہی اجى برج سى جانبة يس كريد مركى نيا محامله من بي الس برير (خدال بي تربر مواس ايد بل لائ - اس بل مين مقان ما لكول ا ود ام اردادون میں بیچ کمس حرک يريشن-معقن ميور باب حرق ايله مذ بيلينس قام ترغ فكومش بالمكابع-552 د تى كاربورىيىشى د تى تە دەم مد در حلم/صاحب منه (ملاً متبترن إورمخة که اسلاکانی اتر کر ا*یک دور و بر میرا*یکا -بإدر مين ومسكستين ترت مبتغي میں پہات جانتا ہوں کہ جیرے س كر إديهسطل باديمند عرب المتابا ياليبور يحسا تدليبي تعريقي تقريع يبتا لمارد و ب*الطريغة كترول ابلك برلنا*

339 The Delhi [RAJYA SABHA] Rent Bill, 1994 340 المان مولى جليك - ميں يہ مسجد المعوں اسماسامان الحفائر بابرمجينك دم اس رو دو معند ببت مرس به عام . كم منسوسي بيش كياب /معيد تي . ماست بيحابيكا اطوله يركضي تتصمكان والوب ي كلفى مستشا - مرض - دون شيس بي مالك تين تين جمع جمع مرايد بس كى به- تومردست اس بل يودنى سراد ليتربس- كراع داد مرديه وينكجامينا كوريغر كزنا يريدخبال مين كوى مبت فساده مع ليكن كتبى تتجى و كتيتام مع له التحطيب اجى الت بني بوك - احول طواريرانك ليوكر - كوكاليس باست بنيو بع-يواخيال بحريمان تتين غلط بنين سمخام ولكن م م میں (بگری *از اب ی کو معلی مساحی* اس بل کے تعلق سے کوتھلی حداجہ د، يهموت كم تعدكم (بيت سال مجعن جلب دې والے بيں-اورجگمومېن جي ميغ Too " - by wood برست متفق - 20 بی بیت اچی اون نیس دينك كبونكه الخص غيدي تراندهمه منوي راج ناغوستكو وجي مييغ (بد مسر بیشن جلل کے مع در ان ى مون چاپيغ- . . . "مر اخلت " ... د تی۔ نی دئی ا*ن سب چیزوں سے* القف ميس - السطيري، برويزن جسك تنبري محدد إفعنل يزف م-افعنل طرف كواهل عداهب في توجه والملك أبئ والمط ميں يحد يبيذ مونى جا بيد ليكن میں توابیک بسال برزور دونگا ۔ آپ کمینے ب - میں سمجمة ایموں مجوا بیف دو میں تدمیں بھی ترمیم کرلیتنام وں - لیکن مہینے میں او کیشن *انحکا ہے۔*میں *کلا* سي مويون مروز كالدامس مر المتومند جرمين سرم بن مون جاسي روي مين المبتشن يبنه م بس لكتى - اسط منه بردينا چاپيا دومين كامد كاجه تك مسوال س ميں سم ايون اير جى - الم أين بل كاسم فعن توكريش -كوى أدمى دومين بالمجانس كرايه بإس مى تويني ليكن مراحيال مع أب ان دے يك وراست الات مس تحديد المحرومى مارنينك كم دوميين كم مدت كانى الكول دمد مريع ميں- كرمكن مالك بني بم - يمان تك جبم با دليمند

كمصمير بني تسريغ تواكب مبي تين مجينا جرديع س وريم و مان مل جله -لوك مكان خريد مردى ليتى س. دو ى هم ومتر المنظم من مج الراح داد جوامل تين تين سال مكان خابي كيتة يسعرن مرجع اس دوميني ميں مطان مالک بیں لیونک اسپ کر ایہ دور بسانے کا کے اقدیس ہتھیار دیں ہے بی کہ دون می ختم مردکیا ہے ۔ اوک اام پینے استونعال با برم دم - د وسرى بلت ميس كميتاج إيرون لمكم بل المد مانون تو اا ممينة مين جوا نكوجتنا نرايه ملتابع (بنى جلَّه بين حقيقت يه بيم كما ي نيستسكياب ولكتيب ميرهانناب السكةمادلنيث وبليواس كراس كمصحياد لكرف كم المدر بست يمتع اليسع كوك لگاندباده بانج گذامه جات به دسط ہیں سطنے پاس بہت مسامدے مکان وه موجّلها که کر اسار ارکو بسسا ک والممنحول كتيون جعنوش موللون يمين-بهيت لكج كل مرف كاروبا وكتبلغ كام ليتلجأ اب الراس مکان برا برخی ک ویلبردو وخريد في مي مكان لاككرك بعجسكااا ميبين كالأدباخ ليح بس مواجب بني بع ليكن رويغ كرابا بهوما به- ليكن ايك يهيج-السليخ تقر خريله يع مين-میں اسک ویلید پچاس ہزاد درمیں زباد وتسرفريا ده ميرافي الملي كسلي^و برصحال بع - اسليخ وه مسوجتابع جلہوں پرخرید ستے میں جاں ہوگ ملح لكم يحص مكان كم المسط يرديني م ودت ايسيالكاجا ربابع ايسياكي جاتابع بمين سي ليون ايت دومسال ت بودوه بلكة مين لأيكويه بات بتاؤنكا كهبت اسمع يبيح ديت ابع- (يسع بزادور يسي ساد محاجلة بق لنظري أشت بوتة للكعوب ملحان رقيسة الاريس جكمون مرد کور جار- با بج با بج سطان میں جى بعيق ميں- وہ ان چیزوں سے بہت

343 The Delhi Rent Bill, 1994 [RAJYA SABHA] 344 اليحديم ميسر واقف ميں۔ النَّون ني ش يە ئىتى يى كەتىن مىزا مالك ى بنالو كام لياب - مكانوں برتا المدلك ميوسة اورجوتنى منزل بنكف والمعك بنالو-میں ۔ بوک مارے ماریے ڈیکو نڈیکٹے أب تين منزل كالرايه وصول بيت میرد ہے ہیں۔ پرویر تی کہ بلرزے پاس مربوليكن يوتني منزل أسب اس ذي مكان استع بردين مي - اس تي مانون بوديروجس ب دَيْكامكان بنايا میں *بوکالیسی لَنَّج*الکُش مہدی چاہیے ۔ يع ملمان بناخوالاسال بومك مكان لمرتول طالنا مسلح وتحلر تم معطر-بناتابير-باي يجيونيوى للاكرديتاب المجم ملكوں ميں ميں في ديکھا بيد کہم می ما زون و پال پر بیمد اگر تو کامکان جبب مكان تيادم فجاتا يو-تواسم خابى يبع توننى كاختيار يعكرون مكان سيربا يرتظكر لأنايد تابيع-اور خال مكان بين جا تربيه محط الم اولييش وه المرايح برجينا شروع بموجا تلبع (معط مسركاركراس بركوك توجيه دين چليسے-کے بیوکہ کہ یہ ملحان زائل سے اور میں مستغتى بمصقم المقانا جابية خام لموس الرابي دين كبله تبارمون جومعي مبركاد برقوانين بنلفتك بين مراما ولبعك عليه ترحد ليكن شمان فتأبى ويبع استكاتونك الممين بنادي بات يهيم كمتما نون بيت مطلب بنين سع يجب لوت معرف كرابر ا بي مدينه مين ليكن ما دن كادولاق معوريج بي تولنسي كديد اختياد تبي مقيك بهي مرونا بع - تانون كو تقيك يصحدوه مكان فتريد استكرا ويربيعها د سے بلا میں کہتا ہوں۔ ہمادی سراند د مند سے بس لیا جاتا ہے ۔ اس سے

346

. سادی مشکلات بیدا مهوتمین بتصع المعم بأحت يبهيع تردي كالأر لوك (مسلامس يوزي ترمي - توتوشش واقعى العمين كول شك بنس مع الم المادار مسركارى به مجون جايعة 2 ما فون معذبان كواس سع كافى نعمان مهوسكتاب اس فأنون كم مسى يوز كاخيال كمين ليكن مرايه ماندا بعكه سركاد فاور الأكب مسس يوز كاخيال بنين كمقيشة دوسرے کلافرین کے وریسے سے کلی تومانون كرون سخابس مي مي مي م بيلينس كرسفك كوشعش كم ع دونو بهون كم جمس جن يه بل باس بود باير مصحقوق ميں اور الر أسف بلكرا يسخ آجائل الوتى ولك بيطرية للاش ر مونیع که (مس کانون میں کون کون سے مشكايتين ككبس توسركا دمزير غودكم الدب حولس مي جن مع مم فالأدافقا مكتى يدانكوس دور يو كيليك مرامان مسكتريس-الاراسي حساب سعكم سے آ، بہت تر نوآ کے بورجو ککہ اسمیں مرا مشروع مرديشة - مرا بهما يه ب متقادل ترميم كجادي يح السليخ العمين تقيناً بهروال اتنى العربات بني يعسليكن جس المحكميان يس ليكن بم ان تميون كوتد اسبوب سعيه لاياليك مي اسكى مراهنا فنرانداذ بكاسكم مباس بسف كرابول المسقو باس كون كتليخ مع لوك حنى ميں ميں - بببت ببت مشكر ب-] تسكميس يدايك اجماحدم اغلايا لكاب

श्रीमति चम्द्रकला पाण्डेय (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाष्यक्ष महोदय, दिल्ली रेंट बिल पर चर्चा करते हुए ग्रामी मैंने कोहली साहव और प्रकाल साहब की बातें सूनी। दोनों की बातों से सेरे दिमाग में जो बात म्राई वह हैं, दिल्ली देश का दिल है ग्रीर दिल में जगह नहीं हैं। एक बात और हैं, मजबूत के हाथ और मजबूत करो, कमजोर को ग्रौर कमजोर वनाओं । जो बहुत दिनों से दिल्ली में 9 रुपए किराया देकर मकानों में रह रहे हैं इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया। है कि उनके लिए क्या किया जाएमा । लेकिन जो नये किराएदार आएंगे उनके लिए इतने सारे नियम कानून बना दिए गए हैं जिन पर कोहली जी ने विस्तुत चर्चाकी है। चंकि मेरी पार्टी का समय कम है, मैं कुछ मोटी मोटी बातों की ग्रोर च्यान दिलाकर जो लुपहोल्स इस बिल में हैं उस पर बात करके ग्रपनी बात खत्म करुंगी ।

एक अच्छे घर में रानी का खवाब हर प्रादमी देखता है और एक डेमोकेटिक देश में उसके सपने को पूरा करने का दायित्व किसी भी सरकार का नैतिक दायित्व है। यह खेदजनक है कि जबकि हमें ग्राजाद हुए प्राधी शती बीतने वाली है न सबके लिए रोटी सुलभ हुई है न कपड़ा श्रीर मकान की बात तो शहर में सोचना भी सपना है। एक गीत जब्द हम रोते रहे हैं रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा है। लेकिन कितने लोगों को दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने के लिए घर मिल पाया हैं यह एक बहत बडी बात है ।

सरकार ने गृह निर्माण योजना के तहत सबके लिए सुलभ शर्तों पर घर मुहैया कराने के बादे भले ही किए पर वे कागजी वक्तव्य ही बने रहे । ऐसे हालात में देश के मध्य बित परिवारों को किराए पर घर मिल सके उनके प्रधिकारों को संरक्षण दिलाया जा सके इसको मद्देनजर रखते हुए शहरी विकास मंत्री शीमती शीला कौल ने गत वर्ष 16 ब्राग्स्त को राज्यसभा में दिल्ली किराया विधेयक पेश किया था इस विधेयक की आवश्यकता और प्रयोजन की चर्चा करते हए विधेयक में प्रस्तावित

है, "दिल्ली में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच के संबंध ग्रब तक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियस सन् 1958 द्वारा शासित होता है। यह ग्रधिनियम 9 फरवरी, 1979 को लागु किया गया था। इसके बाद यह कई वार संशोधित उग्रत्त सन् 1988 में किए गए संशोधन श्राधिक प्रशासन सुधार ग्रायोग ग्रौर रःष्ट्रीय नगरीकरण श्रायोग की सिफारिशों पर आधारित थे लेकिन यह बात अनभव की जाती रही कि किराया ग्रावास के विकास को प्रोत्साहन दिए जाने में आने वाली बाधाओं को हटाने के मःमलों में वे काफी नहीं थे ग्रौर बहुत सारे प्रक्नों का उत्तर देने में प्रसमर्थ थे। 3. P.M. सन 1992 में संसद के दोनों सदनों के पटल पर राष्ट्रीय प्रावास नीति के रखने के साथ दिल्ली किराया नियन्त्रण ग्रधिनियम 1958 का ग्रीर संझोधन करने की मांग को नया बल मिला। यह बिल लेकर दावा किया गया कि इसके मुख्य विषयों में एक साधारणतः ग्रःवासं के भौग विशिष्टतयः किराय। आवास के विकास में विधिक **ग्रडचनों को दर करन**ि । विधेषक में कहा गया है राष्ट्रीय ग्रावास नीति के पैरा 4-6-2 में बिनिर्दिष्ट रूप से किराया ग्रावास में वितिधान को त्रदृश्या देने के लिए विशिष्ट रूप से भिन्न और मध्यम ग्राय वर्ग के समहों के लिए उपबंध किया गया है । किन्तु उपसभाष्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहती हं कि यह विधेयक दिल्ली राज्य के अन्तर्गत आवास के लिए परेशान मध्य बित वर्ग के हितों की रक्षा कर पाएगा इसमें सन्देह है । जब यह विधेयक लाया गया था तभी इसकी तीखी समालोचना ग्राखवारों में निकली थी ग्रीर इसकी कडी निन्दा करते हुए इसे मकात मालिकों का हितसाधक और किराएदारों के साथ ज्यावतीपूर्ण बताया गवां था । इससे साफ जाहिर है कि झहरी विकास ਸੰਗੀ जी ने दिल्ली के मठान मालिक वर्ग की इच्छाओं को सिर्फ ध्यान में रखते हए उन लाखों किराएदारों की परवाह नहीं की है जो कि ग्रापनी मासिक ग्राय का एक बड़ा हिस्सा मकान के किराए में झोंक देता है। ग्रगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो किराएदारों को तनाव और आक्रोश के सिवा कुछ न मिलेगा। इस विधेयक में

۰.

लिखित टेनेंशे ऐग्रीमेंट ग्रीर उसके रॉकस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है जिससे सकान के मालिकों को किरायेदारों को अनेक बहानों से बेदखल कर देने की सहलिपतें दे दी हैं।

विधेयक में स्टैंश्डई किराया तय करने की बात है जो कि टोटल कास्ट ग्राफ कंस्ट्रक्शन और जब मकान बनाया गया था उस समय की भूमि की कीमत को घ्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 10 प्रतिभत वढाने की बात है जो मध्य वित किराएद। रों के हित में नहीं है। फिर एक रेन्ट ग्रथारिटी बनाने की बात की उनके विरोध में जाती है। रेन्ट ग्रयारिटी विधि कारणों में किराएदारों को घर खाली करने का आदेश दे सकती है उसे रिमान्ड चोटिस के था महीने के भीतर घर खाली करना पडेगा । धागर किराएवार कोई जनाधिकृत कर रहा हो ग्रद यह कैसे व्यापार निश्चित किया आएगा कि जो व्यापार कर रहा है वह प्रनाधिकृत है या नहीं उसने संवलेट कर रखा हो मेन्ट्रेन्ड घर मेफ म हो और मकान मालिक मारम्मत कराना चाहता हो, किसी स्थानीय कारणों में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन किया हो । लेण्डलाई जो मरम्मत चाहता है यह विना कि अपदार के घर खाली किए सहीं हो सकता । भकान मालिक के परसिश्वन के विन। कुछ प्रतिभिक्त निर्माण करा लिया है या पाम-पडोस में कोई झभद्र याचरण करते हुए पाया मना है । अपर टेनेन्मी एग्रीमेन्ट एक खास समय तक है तो उसपे समाप्त होने तक कि राएदार को घर खाली कर देना पड़ेगा, वहीं तो भकान मालिक रेन्ट अयाभिटी की मध्य से किलाएदार का बेदखल कर देगा । यह विष्ठेयक बहत जल्दी में लाया गया है । इन पर अधिक पब्लिक अंगीनियम लेने की जरुरत है। किराएदारों, मकान मःलिओं, राजनी*ि*क नेताओं, दुकानदारों और साम शाइमो को इस विजेधक पर विचार करते के लिए श्रामंदित करण चाहिए। दिल्ली में मकानों का कियाया याकाश को छना जा रहा है। ग्रगर किराएटारों की रक्षा सरकार ने महीं की तो प्रांफिट मेकिंग नजरिए में मकान बनवाने थाले मकान मालिक किराएदारों की सहलियत की आतें गायद

ही मार्चे । बेसे ही तो प्राइवेटाइजे शन ने हर क्षेत्र में फिर से सरबाइवल आफ द फिट्टेस्ट सिद्धान्त को जिन्दा कर दिया है जिसमें इन्वेस्टिंग इंडिविजु अल का हित ऊपर एख दिया गया है और क्लास तथा सोसाइटी की बाद्र भुला दी गई है । इस बिल में इस जात के लिए कहीं मजाइश नहीं एखी गई है कि रेंट एग्रीड रेट अथवा स्टेंडर्ड रेंट से कम होगा । सर्लक किराए के अतिरिक्त क्लाज 8 के अनुसार किराएदार पर कम्पलसरी मोनेटरी नईन डाला गया है अनेक रूपों में यह भी मकान मालिक के हक में है ।

एक ग्रीर उदाहरण के साथ में ग्रपनी यात खत्म करना चाहूंगी । इस बिल के अनुसार फबकि टिनेस्ट को सबलेटिंग के प्रपदाध में एक महीने की जेल हो सकती है मकान मालिक के फाल्स ऐफीडेंदिट देने पर भी जो कि ग्राई॰पी॰सी॰ की 181वीं धारा के मन्दर्गत किमिनल ग्रॉफेन्स है ग्रीर तीन वर्ष की जेल दी जा सकती है, थोड़े से सामान्य फाइन देने के बाद में छुटकारा मिल सकता है ।इस तरह किराएदारों को मैकन्ड क्लास सिटिजन बनाने वाले इस विधेयक में दोनों पक्षों के प्रति न्याय का दावा करने की कोई सकारात्मक पहल नहीं हैं ।

में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस विधेयक पर झौर अच्छी तरह विचार करने के बाद फिर इमे लाएं ! इस नगर में 17 कमरों में एक आदमी झौर एक कमरे में 17 आदमी रहते हैं। बहुत से नौकरी पेशा लोग आज भी रहने के लिए जिन घरों में मजबूर होते हैं उन्हें घर नहीं दरबा कहना उचित है। ये घास-फूस के घर यहां मनुष्य केसे जीवन बिता सकते हैं जहां हाउसिंग को प्राफिटेबल प्रोपोज्जी शन का रूप दिया जा रहा है ?

मै एक बार फिर अनुरोध करती हूं कि इसमें संशोधन के साथ फिर से इसे लाया जाए । धन्यवाद ।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu); Mr. Vice-Chairman, I stand before you to support this Bill. The hon. Member, Marxist Member who spoke before me, raised many points. One of the points, which has been frequently raised by some ot the parties, and I read it in the newspapers, is that the Marxist Party Members raised serious objections to the Bill when it was introduced in the Rajya Sabha. The main argument is that the tenants are poor and -.the landlords are rich. My understanding of the situation is that we cannot categorise all the tenants as poor people and all the landlords-though we call them as lords there are many people who are not lords by-owning several houses-as rich.

Secondly, as you know, Sir, many of the public sector undertakings including banks are nowadays tenants of various people. If you take a particular bank or a particular industry, it has got its offices in major cities and it is paying a very email rent. I know of a particular case of a nationalised bank occupying a property of a Government servant, who retired, as Secretary to the Government a few years ago. for a long number of years. It has been paying a very small rent in Madras. When this gentleman approached them and said, "I have now retired; I don't have any house; you better give me this house back", they refused to give the House because it was in a commercial area

SHRIMATI SHEILA KAUL: We are giving this for Delhi. If you went it for Tamil Nadu, you demand it there.

SHRI G. SWAMINATHAN; Why I am saying this is because you are having a model Act.

SHRIMATI SHEILA KAUL: This is only for Delhi.

SHRI G, SWMINATHAN: I am only supporting you generally. In support of you I am saying this. It

is not that I want to go to Tamil Nadu. This is an Act which should go as a model Act to all the States. I personally feel, after the announcement of the Housing Policy, investment is very much necessary.

SHRIMATI SHEILA KAUL; I am very happy that you take it that way.

SHRI G. SWAMINATHAN: T am supporting it. I am supporting it because the hardship is not only for Delhi but also for Tamil Nadu. As a Member of Parliament, I should speak on Delhi also. It was disputed by some Legislative Members of Delhi and they feared that the MPs were taking up these things and almost usurping these things from them. They have been almost questioning the validity. We have the authority to pass it. It is not only because that I am an M.P. and I have a right to speak on the Bill but also because the Housing Policy which you have brought in is something very welcome. The broad policy should be that all the tenants are I not poor and all the house-owners are rich. There are teachers. There are Government servants. There are retired employees. If they have got som small amount they invest it in house and sometimes they get it through patrimony. personally know of a house owner, who is very rich, who is paying Rs. 35 per month for a house in Bombay for a long number of years. Now his family is occupying it. Ultimately, what happening is thiat there is no investment in housing. You take Bombay or any other city, a lot of houses are not maintained. When you ask the house owner, "Why don't you maintain the hoirse", there say "X get a very small amount. How can I main- tain' the house? The rent I get I have to pay to the corporation and I have to mainain the house; I get Rs. 100 or Rs. 150 for a property worth crores of rupees. If you have the money, you invest it. I may be able to get it." This is the invidious distinction.

As you have rightly said, there is a distortion in the investment. Suppose you invest in banks or you invest in shares you will get a lot of money. Suppose you invest in a property or you invest in housing you will get very little. Who will invest in houses? Nobody will invest in houses. What is generally happening is that in the short run the tenants are benefited and in the long run the tenants are affected because nobody is interested in investing in houses. If you invest in houses, you dan neither take back the houses nor get the money from them. I personally feel that this is an Act on the basis of the Housing Policy which the Government has evolved and also on the basis Of the liberalisation which the Government has brought in. People have to earn and people have to invest. Their money should be saved and their property should be saved and they should be able to invest properly for the benefit of themselves So, I personally welcome this Bill-There are one or two points which I want to say. You have given 10 per cent on the basis of construction cost as it has been done at a particular time and also on the basis of land cost for the period at which it has been constructed. In Tamil Nadu we have brought in a Bill where there is a distinction between commercial rent and residential rent. I think if that is there, we will be very happy. There is 10 per cent for residential. I dont know how much you have got for commercial. You have also taken into consideration the inflation index for a period of time. That is also welcome. One argument that has been raised is that a rent of Rs. 3,500/. land above will not be covered by this Rent Act. I have read in the newspapers that some owners associations, instead of spying that it is good for them, are objecting to it. According to the normal law when I give a property on rent for more than Rs. 3,500/-neither will I be able to increase the rent nor will I be abe to evict the

tenant. According to this Bill, it ap-pears that if somebody goes to court, there is a possibility of getting his tenant evicted if he does not pay rent or if the rent is lower, the owner can enhance the rent up to Rs. 3,500|-But, if it is more, he will not be able to enhance the rent for the property which is worth many thousands of rupees. I would request the Minister to take up this matter and find out whether it is really good for investment or it is adverse for investment. I support the Bill. I feel that it is a balanced Bill. The Minister has gone into it. The Committee has also gone into it. It has also taken evidence from various people. It is good for tenants and it is good for land owners and, at the same time, it is also good for housing because a lot of investment will be there and in the long run it will be beneficial for our country.

Thank you.

श्री गया सिंह (बिहार) : उपसभाष्ट्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं इस मायने से, कि इस तरह का िल पहली बार पेश किया गया है दिल्दी के लिए । मान्यवर, खासतौर से जो बड़े उड़े शहर हैं हमारे देश में, वहां ग्राज गृत सारे मुकदमें इस तरह के चल रहे हैं, जिनमें मकान मालिक ग्रौर किराया देने वाले जो हैं उनके बीच इतमी तरह की चीजें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं ग्रौर इसके चलते लॉ एंड ग्राइंर की बड़ी प्रोब्लम आ रही है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल को देखते हुए मैं एक दो बातों की ग्रोर ग्रापका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ग्रभी भी इसमें कुछ कमजोरियां हैं । खासतौर से प्रशासन की ग्रोर से हम जो चीज तय करते हैं ग्रौर कानून बनाते हैं, उसके बावजूद प्रशासनिक कमजोरियों के चलते हमारे समाज में जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, हरिजन हैं, जिन्होंने हाऊस लोन लेकर दो-तीन कमरे या दो कमरे या जनता पसंट बनाए हैं, उनके द्वारा मकान किराए

356

पर देने के बावजूद जो अथोरिटी आपने बनाई है, जो प्रोविजन आपने बनाए हैं, उसके बावजूद उनके साथ ज्यादती होती है। जब ऐसी ज्यादती होती है तो उसका प्रोटेक्शन कैंसे हो सकता है, उनका कैंसे बचाव हो सकता है, इसका कोई जिफ इसके अंदर नहीं है।

महोदय, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी हैं, समाम कर्मचारी प्राइवेट कंपनी से लोन लेकर, धब्लिक सेक्टर से लोन लेकर, सरकार से लोन लेकर मकान बनाते हैं और उसमें एक रूम में अपने रहने की व्यवस्था करते हैं और चुंकि उनका जो लोन है वह उनकी सेलरी से कट रहा है इसलिए एकाध कमरा किराए पर भी लगाना चाहते हैं । आपने इसमें एक व्यवस्था की है,लेकिन वह उनको रिलाइज नहीं होती । अगर वे कोर्ट में जाएंगे या रेफ्ट प्रथोरिटी के पास जाएंगे तो उनके लिए कोई ठीक जजमेंट हो सकेगी, उनको शीध्र न्याय मिल सकेगा, इसके बारे में सरकार को सचेत करने की जरूरत है।

अत में, इस तरह का बिल जो हमारे सामने आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद ।

SHRI JAGMOHAN (Nominated) .: Sir, I support this Bill. It has been discussed ih the Standing Committee at great length' and the considerations put forward by the landlords and the tenants have been considered. Some of them have heen given personal hearing also. I think there is a little bit of misunderstanding about on. which some of the provisions some distinguished Members have' spoken. So far as? the bona fides are concerned, the rent authorities will consider whether the landlord is putting forward an excuse or it is a genuine, reason for doing so. Therefore. I don't think by merely saying that somebody has not paid 'rent for the last two months or three months, he will get 'the bene fit.. He will have to convince the court. or the rent authorities about the bona fides. I support this.Bill.

It is a balance of considerations both from the point of view of tenants and from the point of view of land. lords. In Delhi, there are a large number of cases where the tenants have taken a huge amount running into lakhs and lakhs of rupees to vacate the houses. This is a story which is on the both sides. Therefore, this distinction about Rs, 3,500 is a very valid distinction. It will reduce litigation so far as the higher slab is concerned. But the point that we have made here is: How will the landlord recover the money if the rent is more than Rs. 3000? It is to be done in accordance with the agreement. He can enforce the agreement. There is no problem on that. But my serious reservation is with regard to one fundamental issue. This will not reduce litigation, if you do not take any corresponding action If the shortage remains as it is or if the shortage increase, litigations will also increase. then The landlord would like to get back the houses. The rents will shoot up as they are shooting up at present. During the last two years, the rents have gone up by three times Or four times. Therefore, in the conditions of scarcity, everybody would find a loophole in this law and go to the court and create problems. Therefore, it is very necessary for the Government to come forward with a comprehensive programme for building houses so that the shortage is eliminated. Unfortunately, the policy which the Government has now evolved, the socalled policy of liberalisation, is not relevant. In my viaw, so far a land and housing metropolitan cities is in will only create a lot of concerned this problem; No poor man can construct a house. I challenge the Government to show if they have given affordable land to me poor people where they can build houses. In the conditions of scarcity that exist in Delhi, land is just not available, unless you pay lakhs and lakhs of rupees. Where will the 80.

per cent of Delhi's population be longing to the low income group, the middle income group and the slumdwellerg go to find houses? Eighty per cent of the people in the Delhi Police. about whom we talk, do not Where will they go? have houses. policy which we are now follow the ing is really sucking the blood and the bone and, I should say, every thing of the poor people. Life is be ing sucked, out of them. Unless you do something, you will just be leav ing the land, and houses to the urban; sharks and Urban racketeers. Thev are making a huge money out of it. So, in this condition, I don't think you can solve this problem by just passing a law. In this condition of scarcity, litigation will not end. Pro. blems will mount and the mafia will continue to work. Other problems . will continue to mount. At present, I would like to give you one figure. The total shortage is going to be 41 million by 2000 AD. A study has been made. At 1985 prices, it will investment of Rs. 1.,90,000 involve an crores. From where are you going to get that money? You are not thinking about it at all. Even if you have to meet the existing shortage, you will have to have that much of which you investible resources are You are thinkiing thai not providing. provide, some business banks will will provide. But, no one houses is pioviding it. You have to make use of the urban land and whatever infrastructural investment you are making in urban land will have to be used. It is the public authority which must 'get back that investment. Then only you can have sufficient funds for building houses for the Otherwise, you will not be poor. able to build houses for the poor. I also that in must say Delhi. the Government has a lot of lands of which it is. not making remunerative use. If is not making full use. It is not making proper use. А

proper policy of resettlement has *id* 'be followed. A lot of

custodian land is there. A lot of vacant land is there which has been squatted upon and people are mak-ing billions out of it. I can tell you that there are 28 cases in which the Government has to recover more than rupees one crore. From one party alone, Rs. 32 crores have to be recovered. If you recover that money and use it for building houses for the low-income group and the poor people and the slum-dwei-lers, you will be solving a big problem. For months together, for years together, this money is due and we are not recovering that money. Those people are putting up commercial houses and are keeping the rioney with them. They are earning money. They are accumulating black money and creating all types Of social and economic problems. At the same time the Government is losing this money. You will have to have a very comprehensive policy on land and housing in urban areas. It is not so simple that by Fussing this law, you can solve." the problem. You have to have a long-term policy on human settlement. You have to evolve a new human settlement technology tor building houses which are inexpensive by making use of the pro. Per type of material. You have to have common group hou ses so that common green is available to the poor. It is a very big project. You cannot solve the problem like this. I would suggest that if you want this legislation to succeed, you have to take simultaneous • action in regard to lands, in regard to small, inexpensive in (regard to settlement houses technologies and in regard to human settlement policy as a whole. Only then some abatement of the problem can take place. Otherwise this will continue to mount. It will increase. Already 70 per cent of Delhi's population is living in slums or in slum conditions.

If no remedial measures are taken, I am sure the figure will go up to 90 per cent in another Ave or ten years.

360

Thank you, Sir.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir. at the outset, I would like to draw the attention of all the Mem bers to the fact that this Bill is a product ot long deliberations in volving opinion-leaders, representa tives of interested groups as well as lay citizens.

क्योंकि मेरे भाई कोहली जी ने कहाँ है कि इसको थापिस भेजना चाहिए तथा औरों की राय लेनी चाहिये । मैं ग्रापको यह बताना चाहती हूं कि किस तरीके से कितनी देर तक हम लोग विचार करते रहे हैं इस विवय के उत्तर ग्रीर उसके चाद इस नतीजे पर ग्राए हैं ।

As I have already pointed out in introductory remarks, the Ad my ministrative Reforms Commission as well as the National Commission on Urbanisation had deliberated on it and had given very useful suggestion. We have also taken into considera tion manv individual representa from time to time. Most tion in portant, of course, is the fact tha: this Bill was introduced in this aug ust House and it was referred to the Standing Committee Urban on and Rural Development. This Committee, consisting of 43 Members of Parliament from both the Houses who are representatives of political opinion, had deliberated on the Bill in great detail.

यही मैं आपको बताना चाहती थी कि दोनों भदनों के मेंबर्स मिलकर इस नताजे पद आए हैं, जो हम आपक सामने पेश कर रहे हैं।

It also took public evidence and only then it submitted its recommendations, almost after nine months' effort. I think we have given enough opportunity for everybody to give his suggestions. However, a need is there to bring these far-reaching changes into effect. A consensus has more or less been reached. It is my suggestion that we pass this Bill and that we can review its working in due course of time so that based on experience, necessary amendments can be made. This is not something new. It hag been done in the case of the previous Act which was amended in 1960, 1963, 1976, 1984 and 1988. I would, therefore, appeal to the Member to withdraw his amendment and help us in getting this Bill through.

श्री ग्रो॰ पी॰ कोहली : वाइस चेथरसैंग सर, मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री महोदया से चाहता हूं । मैं क्लॉज-5 को रैफर कर रहा हूं । ग्रयर कोई टीनेंट मर जाए तो उसके संक्सेसर को वह टीनेंसो मिलेगी !

Tenancy rights will go down to the successors.

यह बात रेजीडेंशल प्रोपर्टी के लिए, रेजीडेंशल टीनेंसी के लिए तो एलाऊ की गई है। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति ने किराए की दूकान ली हुई है ग्रीर वह व्यक्ति-टीनेंट मर गया । उस दुकान को चलते हुए 15 साल, 20 साल था 25 साल हो गए हैं तथा उस दुकान की गुडविल बन गई है। तो उस व्यक्ति का जो सक्सेसर है-उसका बच्चा है, तो उसको क्यों मही उस दुकान की टीनेंसी का राइट डिवोल्द कर जाना चाहिए । रेजीडेंशल टीनेंसी में तो उसके सक्सेसर को हक मिल जाता है परन्तुनान रेजीडेंशल प्रोपर्टी के लिए उसको इस परिाध से क्यों बाहर रखा गया है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहंगा ?

श्रीमती शीला कौल : आपने जो जान-कारी चाही है वह मैं आपको बताना चाहती हूं। जब कोई शख्स युजर आए तो उसका एकदम से जो मालिक बनता है---उसका जो हैयर विरासत में प्राता है, या तो उसकी बीबी होती है, बीबी फे बाद उसका लड़खा और अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो इसमें यह सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से सबसे पहले तो स्पाऊज---यानी अगर औरत का है तो मर्द. को मिलेगा, मद का है तो बौरत को मिलेगा । फिर उसके बच्चे को, लडके को मिलेगा और लडका

झगर घर में रहता है और वह इंडिपेडेंट है तब तो एक साल तक थह रह सफेगा उस घर में बरना थाकी जो हैं, उनका हक बन जाता है इसमें । प्रगर आप ध्यान से पहेंगे इसको तो द्रापको मालूम होगा कि इसमें सब बातें लिखी हैं और काफी फलाद से लिखी हैं जिससे कि लोगों को परेशानी न हो ।

भी मो॰ पो॰ कोहलो : उपसभाष्ट्यक्ष महोदय, तेरे प्रभन का उत्तर बिलकुल नहीं मिला ! मंद्री महोदना ने केवल यह बत-लाया है कि सक्सेसर कौन-कौन होंगे, उसकी हमने लिस्ट दी हुई है । सक्सेसं की लिस्ट तो दी हुई है क्साज 5 में, (a) Spouse, (b) Son or daughter or where there are both son and daughter, both of them, (c) Parents, and (d) Daughter-in-law being the widow of his pre-deceased son.

मेरा भिजेदन इतना है कि ग्रगर एक टेनेंट ने कोई अगह रहने के लिए रिहायमी रूप में किराए घर ली है और टेनेंट मर गया तो उसका जो सक्सेसर उसका बेटा है, उसके बेटे का वह टेनेंसी राइट ट्रांसफर हो जाता है, उस तक पहुंच जाता है लेकिन ग्रगर किंसी व्यक्ति ने कोई कि ाए की दुकान ली है और उस कि अएको दुकान को उसने मेहनत काफे चलाया, दस-भन्द्रह बोस साल में उसने गुडविल निर्माण की उस दुकान की और वह टेनेंट गुजार गया तो उसके गुजरने पर उसका जो सक्सेसर है, उसका बेटा है, उसको यह टेर्नेसी राइट क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाता ? ग्रगर यह रेजीडेंशियल प्रापर्टी के केस में हो जाता है तो नान-रेजीन्डेंशियल प्रापर्टी के केस में क्यों नहीं होता, इसके पीछे रेशनल और तकं क्या है, मैं यह मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं और दूसरा, उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि सगर माप टेनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह प्रोविजन करते हैं कि रिहाथशी किराएदारी तो टेनेंट के मरने पर उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगी तो फिर जो नान-रेज़ीडेनशियल टेनेंसी है, वह भी

ट्रांसफर होनी चाहिए उसके उत्तराधिकारी को, ऐसा वे क्यों नहीं सोचती है, इसका मैं स्पष्टीकरण चहता हूं।

श्रीमली शीखा कौल : मने प्रशी कहा कि जो किराएदार है, प्रगर वह गुजर जाए और उसके बाल-बच्चे हों, बीबी-बच्चे हों तो वह उस मकान को जो उसका बीवी है या जो बड़ा लड़का है, उसको दस साल तक वे रख सकते हैं।

भी सौरे पी॰ कौर्ली: मगर उसने कोई दुकान किराए पर की हई है।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, his point *is* entirely diffe-

rent. He is saying रिहाथ शी मकान की तो टेनेंसी चली आई लेकिन अगर दुकान की हैं तो उसका क्या हुआ। ?

श्रीमती ज्ञीला कौल : एक-एक भाई बोर्ले तो मेरी समझ में श्रा जाएगा ।

SHRI SATISH AGARWAL: The hon. Member wants txrtarow' "wbeftrer the commercial tenancies are also inheritable.

श्रीमती शीला कौल : जो किराए के धर हैं वे ?

भी सतीश अप्रवास (राजःथान) ः नही, कामशियल टेनेंसी...सुकान...उनमें इल-हेरिटेंस है या नही या केवल रेजीडेंशियल प्रापटींज में यह राइट लाग होगा।

विपक्ष के नेला (श्री सिकण्धर बखत): सवाल बहुत सीधा है, मकान की टेनेंसी ट्रांसफरेबल है, दुकान की ट्रांसफरेबल क्यों नहीं है?.....(व्यवधान).....

श्रीमती शीला कौल : देखिए, मेरे भाई ने प्रभी ग्रापको बताया ।

श्री सिकन्दर बख्तः नहीं मेडम, सवाल आपसे है। मैंने नहीं बताया कुछ भी।

भीमती शोला कौलः तो ग्रापती मुर्झसे पहले थे वहां पर जहां हुं मैं ग्राज । भो झो॰ पी॰ कोहलो : मैडम, क्लाज 5 में लिमिट किया गया है कि जहां पर रेज्वीडशियल प्रापर्टी के लिए जो किराए-दार है, वह तो इनहेरिट हो जाएगी उसफे सक्सेसर में लेफिन नान-रेज्वीडेंशियल प्रापर्टी में जो किराएदार है वह इनहेरिट नहीं होगी, उसको बाहर रखा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह ग्रंतर क्यों किया गया है ?

श्रीभती शोला कौल : क्योंकि वह उसका मालिक नहीं है इसलिए । मालिक ने जो इनहेरिट किया है वह अपने बाप-दादा से इनहेरिट होता चला ग्राया है । मालिक ने घर बनाया है तो अपने लिए बनाया है

भी सिनन्दर वदतः छोटा करिए सथाल को ।

श्वी झो॰ पी॰ कोड्ली : उपसभाष्यक्ष महोदय मेरा प्रक्ष बिलकुल सीघा सा है कि मैंने किसी से एक डुकान किराए पर ली एक प्रेमेसिख किराए पर लिया और मैं वहां डुकान चढ़ाता हूं(व्यवधान)

SHRI SATISH AGARWAL: It is a matter of interpretation. The Minister can't reply whether it is transferable or inheritable or not. The Ministry can't reply to it. It is a question of interpretation. Sheilaji, it is a question of interpretation. The court will interpret it. How can you interpret it? Mr. Kohli should understand it.

भी झो॰ पो॰ कोहली : नहीं नहीं उपसभाष्यक्ष महोदय इसमें बहुत स्पष्ट तौर से कहा गया है कि नान-रेजीडेंशियल टेनेंसी इनहेरिट नहीं होगी यह बात कही गई है क्लाज 5 में । और चूंकि स्पैसि-फिकली यह बात कही गयी है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि नान रेजीडेंशियल टेनेंसी को इनहैरिट होने के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है ?

धीमती शोला कोल : ग्रापका मतलब है कि जो कर्मीशयल होते हैं उनको इससे बाहर क्यों रखा बया है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके लिए दूसरे कानून हैं ग्रीर इसके लिए दूसरे कानून हैं। क्योंकि उसका जो किराया होता है, वह 3 हजार 5 सौ से ज्यादा बहुत सारे केसिज में मा जाएगा इसलिए उनको ग्रलग रखा गया है ।

श्री झो॰ पी॰ को इली : ऐसा नहीं है कि जो कर्मांशयल प्रीमिसिस है, उनका किराया 3 हजार 5 सौ से ज्यादा ही है, 3 हजार 5 सौ से कम किराए वाले जो प्रीमिसिस हैं, उनकी टैनेंसी इनहैरिट करने का राइट क्यों खरम कर दिया बया है ?

भीमसी शीला कौल : क्योंकि वह उसका मालिक है। जिसने बुकान बनायी है घर को बनाया है वह उसका मालिक हैं। वह ग्राउना हक किसी प्रौर को क्यों देना चाहेगा।

श्री झो॰ पी॰ कोहसी : तो मालिक के मर जाने के बाद क्या होग(? उसके सक्सैंसर को यह हक मिलेगा या नहीं ? आपने कहा कि वह मालिक है मैं कह रहा हूं कि अगर मालिक मर गया तो उसका जो बेटा है, क्या वह उस दुकान का टैर्नेसी का राइट रख सकता है या नहीं ?

श्रीमती गीला कौल : रख सकता हैं लेकिन शार्ट इयूरेशन के लिए ।

भी ग्रौ॰ पो॰ कोहसी : कितनी ड्यूरेशन के लिए ?

श्रीमती शौला कील : ग्रगर डायरेक्ट है तो एक साल के लिए रख सकता है।

भो भो ॰ पी० को हली : यह कहां प्रोवाइ किया गया है । इसमें प्रोवाइडा नहीं किया बया है ।

थीमती शीला कौल : इसमें है !

श्री म्रो० यी० कोहली : ग्राप मुझे पढ़कर बता दीजिए ।

SHRIMATI SHEILA KAUL: For residences 10 years period is allowed on humanitarian grounds *and* for non-residential no such angle is there, still one year time is allowed.

³⁶⁵ The Delhi^{*i*}

उपाध्यक्क (श्री मुरेश पचौरी) : मैं सोचता हूं ॉक मंती जी ने ग्रपकी शंकाम्रों का कुछ हद तक समाम्रान किया है । श्रापने जो संगोधन पेश किया किया हैं उसे ग्राप धापिस ले रहे हैं ।

Are you pressing for your amendment?

SHRI O. P. KOHLI: Sir, I am not pressing for my amendment, but after making some observations I would withdraw my amendment.

मैं मपने संशोधन के लिए प्रैस नहीं कर रहा हं लेकिन मैं प्रैस न करता हुग्रा भी एक टिप्पणी करके आपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं और वह यह कहना चाहता हं कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को ऐसे मामलों में प्रनदेखा न किया जाए जहां पर किसी फैसले का देश की जनता पर व्यापक ग्रसर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस तरह की परम्परा जरूर बनाएगी कि जब किसी ऐसे मामले में फैसला लिया आए जिसका दिल्ली की जनता पर जयापक और दूर-बामी मसर होता है तब दिल्ली की ,निवन्ति चित सरकार से जरूर सलाह मशविरा किया जाए । मंत्री महोदया ने यह जरूर कहा हैं कि हम बहुत समय से लम्बी एक्सरसाइज करके यह बिल लाए हैं लेकिन यह बात सही हैं कि जहां ग्रापने लम्बी एक्सरसाइज की हैं वह तो ठीक हैं लेकिन ग्रापने दिल्ली को सरकार से इस संबंध में कोई कसलटेशन नहीं किया. कोई राय नहीं ली, उनसे मोपीनियन लेने की फारमेलिटी तक नहीं की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पह एक ब्रच्छी थरम्परा होगी कि जिस किसी बिल का, किसी एकट का दिल्ली की जनता पर व्यापक ग्रसर होने वाला हो उसमें, दिल्ली की निर्वाचित सरकार को ग्राइंहदा के लिए ग्राप जरूर पूछ लिया करें। यह एक स्वच्य परम्परा होगी ग्रौर एक लोकतांत्रिक परम्परा होगी ।

उपाभ्यकः (भी सुरेश पत्नीरो) : क्या सदभ की अनुमति है कि श्री झो० पी० कोहशो के संशोधन प्रस्ताव को वापिस किया आए ? The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI); I shall now-put to vote the motion, moved by the Minister.

The Question is:

"That the Bill to provide for the regulation of rents, repairs and maintenance and evictions relating to premises and of rates of hotels and lodging houses in the National Capital Territory of Delhi, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-SURESH PACHOURI): Weshall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 82 and Schedules, I II, *III and TV were added to the Bill*

THE ENACTING FORMULA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): There is One amendment by Shrimati Sheila Kaul.

SHRIMATI SHEILA KAUL; Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 1, for the word "Forty-fifth" the word "Forty-sixth" be *substituted.*"

The question was put and the mo-*tion was adopted.*

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 (Short title and comtnen-*cement*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): There is an amendment by Shrimati Sheila Kaul.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 5, for the figure "1994" the figure "1995" be *substituted.*"

The question wes put and motion was adopted.

Clause 1, *as* amended, *was added* *to the Bill.*

The Title was, added to the Bill.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I move:

"That the Bill be passed." The question *was put and the motion was adopted.*

विपक्ष के मेता (श्री सिफन्दर बरत) : इस बिल को मूव करने से पहले मेरी बरख्वाम्त है कि यह जो बिल प्रिट होकर मिला है यह काफी अखीम और मोटा-ताजा है और एक दिन पहले ही हमें मिला हैं। पहले दफा जो बिल सर्कुलेट हुग्रा था उसमें इरेटा ज्यादा था, जिससे उस बिल को पढना मुमकिन नहीं था। इस तमाम मेंबरों की शिकायत थी। मैं सेकेटिरिएट का शक्रिया ग्रदा करना चाहता हं कि उन्होंने जनको इरेटा के बाद साफ कर दिया है। लेकिन हमें इस बिल को पढ़ने का मौका नहीं मिल। है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी कुछ अमेंडमेंट होने हैं। इसलिए मैं प्रज करूंगा और प्रेफर करूंगा कि इसको प्रगले सत के लिए मलतची कर दिया जाए, ग्रगरसदर साहब बाकी झापकी मर्जी मनासित समर्मे,

بواتعادسم «دريما» نهاره

يصييح اس بل تولير مصنا تمكن م كمام مهود يحى شركايت تمى

SWAMINATHAN: SHRI G. also feel that way because it it deals with property and many other We should important matters. be sufficient time for consulta given tions. So, it can be deferred and Can be taken up later... (Interrup tions),... We have not been given suffici ent time. Though a Committee was appointed and this Bill was submit ted to it in August and the Com mittee has gone into it, but it has been brought here suddenly. We wernot aware that it would be taken up today. We are also not prepared. So, ...(.Interruptions)... I would request that some more time may be given-.

SHRIMATI SHEILA KAUL: It came yesterday.

SHRI G. SWAMINATHAN: We know that. One day will not be sufficient. We have to consult so many people... *(Interruptions)*. We may be given sufficient time.

SHRIMATI SHEILA KAUL: For the last nine months, this has been, in circulation. *(Interruption)...* The House will be over by that time.

भी मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल: मेरा यह बहनाहै कि इस पर...:

مصاغرت المعنل (उपसभापति पीठासीन हई

थी सिकन्दर बख्त : मैं सदर साहिबा से फिर ग्रर्ज कर दूं। मैंने ग्रर्ज किया ----है मैंने मुक्रिया ग्रदा किया है सेकिटिरिएट ना जो पहले बिल था बहुत लंबा-चौडा था । सेकिटिरिएट ने इसको इराटा के साथ भामिल करके दुवारा छापकर दे दिया है। लेकिन हमें इसको पढ़ने का मौका नहीं मिला है । हमने अमेंडमेंड कुछ मूव किए है लेकिन क्षेफ प्रापर्टी के बारे में काफी बुछ ब्रमेंडमेंट ग्रीर लाने की जरुरत है । अगर ग्राप मुनासिब समझें। भिनिस्टर साहिंबा तो इसको प्रगल सब में शुरू में ले ग्राइए । बाकी यह ग्रापके हाथ है | प्रवर ठीक है तो मान जाइए और धगर मना करती हैं तो ग्रापकी मर्जी । मैंने इस पर अपना ऐतराज पेश कर दिया । मेरी राय में इसमें काफी कमियां हैं खो दूर होनी जाहिए ।

مكتواريخت مين معدار ن كافي لي امزيد منشاور لار ا

يبرا تراب مناسب م*کہ (بلکے س*منزمیں ہے آسے إمااعدام مرورائ ميس اسمير كافى كمبال سب جودور ميون جلبيغ]

अपसमापति : सिकन्दर बज्ज साहब् यह जो बक्फ बिल है मैंने उस दिन भी समझाया बा बिजनेंस एडवाइजरी कमेटी के सामने जब यह ग्राया था कि 10 साल से 1985 से कमेटी बैठी थी ग्रीर उस बीच में चार-पांच मंदी भी बदल गये सरकारें भी बदल गई ।

श्री सिकन्दर बख्त र कोई हुई।

I just, wanted my objection to be recorded.

H مغنوی مسکندر بخت ، کون ج منبس ۲

मैं ऐसा समझता था कि प्रोपर्टी बैहद कीमती है बरबाद हो रही है। मेी राय में उनकी हिफाजत का पूरा बन्दोबस्त नहीं है। (थ्यलेखान)

میں انتی حفاظت کا پور (پرر این ولبست منہیں ہیں۔ • • * مرد اخلیت * • • -]

THE DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you.

भी सिम्हन्दर परत 🦸 मबर माप ऐसे समझती हैं तो चलाइये (व्ययझान) ، مسلَّدر بحت (الرَّ إَبِ السِّع بعتى مين توجلا بيط، • • "مواظف "• •

श्राज भी करने की जरुरत है । लेकिन 10 साल से यह पड़ा हुमा है । पहले भी एक दिल अया था जो सर्वछाने में चला गया इसलिए कहों यह बिल भी न चला जाए। पिछले तीन सेशंस से कम से कम थे गुज़ारिश कर रहा हूं केक्षरी जी हर बार कोशिश करते हैं और हर बार कोई न कोई ऐसा मसला बा जाता है। आज खुददा खुदा करके श्राया है इसलिए इसको ब्राज पास करा दे। در العضار عرم المسام – (معتل ه کدامیں (مسلواج با

उपसभापति : नहीं नहीं मेरे समझने को बात नहीं है। सवाल यह है कि इस पर काफी विचार हुआ दो तीन सरकारें बदल गई। केसरी जीने इस पर बहुत मीटिंग्ज बुलाई । एम०पीज०को बुलायाँ जिनकी वक्फ की प्रापर्टी य मुत्तवलियों को ट्रस्टीज को बुलाया सब के साथ उन्होंने इतनी मीटिंग्ज की प्रौर हर एक से लिख कर नुष्ठा कि किस के क्या एतराज हैं। बड बिल काफी दिनों से ग्राना था हर वका नहीं ग्रा पाता था । आज आपके सामने प्राया है उस दिन इरेंटा था काफी प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो फिर इमने सेत्रे-टेरियेट को देकर कहा उन्होंने दो दिन के मन्दर कम्पसीट कर के दोबारा से छपवा कर मंगा दिया । मभी म्राप इसकी गुरुप्रात होने दीजिये । केसरी जी यहां मौज्द हैं । उनाका इससे परसंनल कमिटमेंट हैं। इसके लिए जो भी बात यहां होगी वह घ्यान से सुनेंगे । जो मान सकते हैं वह जुरुर मान लेंगे। आभी नहीं मान सकेंगे तो बाद में उसके अपर गौर मरेंगे । में समझती हूं कि ग्रगर हम लोग इसको गौर डिले करेंगे तो फिर सारा मामला खटाई में पड जाएगा ।

भी संघ प्रिय गौतम : ग्राप युरुस्त फरमा रही हैं खतरा इस सरकार के बदलने का भी है। (व्यवधान)

उपसमापति : ऐसा तो नहीं है।

थी मोहम्मर अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम् में सिंकन्दर बब्त साहब के जजबात की कड़ करता हूं लेकिन आपने जो बात कही उसके पेशेनजूर मेरी तो यह राय है में ग्रापसे यह गुजारिश करुंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए क्योंकि 10 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं हैकि केसरी जी ने इस सिलसिले में फरदन फरदन काफी बड़ी तादाद में मैम्बराने पार्लियामेंट से मगविरा किया है सब लोगों से मशविरा किया है मुलवलियों से बात की है। मैं समझता हूं कि मैं भी इस प्रोसेंस में शामिल रहा हूं। में समसता हूं इस बिल के बारे में बड़ी हद तक बहुत ज्यादा कनसेंसस है । मैं मापसे एग्री करता हूं कि बहुत सारी चीर्जे

371

^{†[]} Transliteration in Arabic Script,

The Wakf

अपसमापसिः : मैं तो 10 सल से कपेटी की मैम्बर हूं। 1985 में मैम्बर बनी थी। कई मंत्री बदले, झाब फेसरी जी ने किया।

भो भगवीश प्रसार मायुर (उत्तर प्रदेश): भाष वाकिफ़ हो गई हैं (स्वथवान)

उपसमापतिः मैं वाकिफ हो गई हूं इसके लिए । बोलिये मंत्री जो ।

कल्याचं मंत्री (श्री सीताराम केसरी): महोदया, मैं प्रस्ताक करगा हं कि---

a a state a destate part process

"दक्फों के बेहतर प्रशासन और तत्संसकत ४। उसके आनुवांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया आए"

उपसमापति महोदया, मैं माज इस वक्फ बिल के प्रस्ताव को इस सदम के सामने दिवार के लिए प्रस्तावित कर रहा हूं। इस संबंध में हमारे कांग्रेस दल ने 1991 में ग्रापने चुनाव घोषणा-पत में घोषणा की थी। इसलिए म ग्राज प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ के कुशल प्रशासन से संबंधित या ग्रानुरूप विषयों का प्रावधान करने बाले विवेयक पर विचार किया आए।

महोदया, 1991 के लोकतभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुन क घोषणा-पत्न में हमने वायदा किया था कि हम इस बक्फ प्रधिनियम की समीक्षा के बाद संशोधन कर के इसे ग्रीर भी कारगर बनाएंगे 1 1991 में कल्याण मंत्रालय का कार्यमार लेते हुए मेंने इस दिशा में कार्यवाही शुरु कर के इस मुद्दे पर माननीय मुसलमान माइयों, संसद् सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मुस्लिम सदस्यों, मुस्लिम समुदाय के मन्य गणमान्य नेताग्रों के साथ व्यापक विचार किया ग्रीर इसमें काफी समय लगा । महोदया, मैं स्मरण कराना चाहंगा

কি मुसलमान বৰ্ণচ মহিনিশন 1923/ बनक अधिनियम 1954 के द्वारा प्रति" स्थापित किया भया । युक्फ अधि नियन 1954 का मुल प्रयोजन देश में वक्फ सम्पत्तियों कों कुशल प्रशासन प्रदास करनाथा। फिर भो 1954 के अधिनियम को लागूहोने के तत्काल याद हो इसके विभिन्न प्रावधानों के पिरुद्ध प्रतिवेदन एवं आपत्तियां आनी शुरु हो गयी। इस अधि-नियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए इस कानूम में 1959, 1964 एई 1969 में संशोधन किए गए। वक्फ संशोधनों विधेयक, 1969 पर विचार विमर्श के दौरान संसद में जोग्दार मांग की गयी कि देश में धक्फ प्रशासन के समग्र कार्य-करण का एक समिति द्वारा गहराई से ग्रध्ययन किया जाए। ग्रतः सरकाः न इस प्रयोजन के लिए दिसम्बर 1970 में श्री सैयद अहमद की ग्रध्यवाता मैं एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया । इस समित ने 1973 की अपनी अंतरिम रिपोर्ट एंव 1976 की अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से अनेक अनुशंसाएं की ।

इस समिति की सिफारिशों के झाधार पर इस सदन में बक्फ संशोधन विधेयक, 1984 लाया गया। में स्मरण कराना बाहूंगा कि जब इस विधेयक पर विचार विमर्ग हो रहा था तो कुछ माननीय सउस्यों ने इसके प्रावधानों पर घोर आपत्तियां दर्ज की थीं रुफ जिनमें वक्फ आपत्तियां दर्ज की थीं रुफ जिनमें वक्क आपत्तियां दर्ज की थीं रुफ जिनमें वक्क आपत्तियां दर्ज की थीं रुफ जिनमें वक्क आपत्ति का उनकी स्वायत्ता, प्राटोनामी बरकटार रह सके । हालांकि वक्स्] संशोधम विधेयक, 1954 इस सदन द्वारा पारित किया गया था लेकिन इसके सिर्फ दो प्रावधानों को ही लागू किया गया।

पतः वन्म कानून के प्रावधानों में सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से 1980 के दशक में एक गहन वानी गन्मीर प्रयास शुरु किया गया । कत्याण मंत्रालय का कार्यभार प्रहण करने के बाद मैंने इस दिशा में, जैसाकि मैंने ग्रमी कहा कि मैंने माननीय मुस्लिम सांसदों तथा मुस्लिम समुदाय के प्रन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विस्तृत यार्ताएं की तथा इस सर्वघ के